

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लि.

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 299

(के साथ 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.5; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.13; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.290; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.292; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.295; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.305; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.311; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.312; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.320; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.417; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.428; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.436; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.484; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.494; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.554; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.611; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.619; 2022 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.634)

16 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 तथा 2019 के नियम 56 के अंतर्गत यह निषेध है कि आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती?
- क्या ई-चालान के बिना बालू की बिक्री और राज्य को राजस्व हानि पहुँचाने वाले कृत्य पुलिस जांच के अंतर्गत आईपीसी अपराधों के रूप में लिए जा सकते हैं?
- ; क्या मिथिलेश कुमार सिंह तथा आदित्य मल्टीकॉम मामलों में समन्वयक पीठों के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं?

हेडनोट्स

विवाद स्पष्ट रूप से दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि विस्तारित अवधि की अप्राप्त रॉयल्टी राशि की वसूली हेतु संबंधित प्राधिकार/ प्रतिवादियों द्वारा

प्रमाण-पत्र वाद दायर किया गया था। (पैरा 76); जैसा कि आरोपित किया गया है, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई दंडनीय (संज्ञेय) अपराध स्थापित नहीं होता है, और यह मामला भजनलाल प्रकरण में प्रतिपादित स्वर्णिम मार्गदर्शक सिद्धांतों क्रमांक 1,2,3,5 एवं 7 के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है। अतः याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी रद्द की जाती हैं। (पैरा 77); सभी रिट याचिकाएं स्वीकृत की जाती हैं। (पैरा 78)

न्याय दृष्टान्त

स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772; जयंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 2 एससीसी 670; ब्रॉड सन कमोडिटीज प्रा. लि. बनाम बिहार राज्य, 2018 (4) पीएलजेआर 706; मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, क्रिमिनल मिस. संख्या 540/2019; आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लि. बनाम बिहार राज्य, क्रिमिनल मिस. संख्या 1233/2021; छोटेलाल चौधरी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, रिपोर्टेड इन 2008 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 348; शरत बाबू दिगुमर्ति बनाम भारत सरकार (एनसीटी दिल्ली), रिपोर्टेड इन (2007) 2 एससीसी 18; मोहम्मद वाजिद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील सं. 2340/2023; उदय सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, आपराधिक रिट याचिका सं. 22626/2005; ओड़िशा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी, रिपोर्टेड इन (2005) 1 एससीसी 568; मरियम फसीहुद्दीन एवं अन्य बनाम राज्य, अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन एवं अन्य, रिपोर्टेड इन 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 58; रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिपोर्टेड इन (2021) 14 एससीसी 626; महमूद अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिपोर्टेड इन (2023) 15 एससीसी 488; बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा, रिपोर्टेड इन एआईआर 1991 एससी 1260; मीर नकवी असकारी बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रिपोर्टेड इन (2009) 15 एससीसी 643; ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, रिपोर्टेड इन (2014) 2 एससीसी 1; भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल, रिपोर्टेड इन (2023) 6 एससीसी 1; अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिपोर्टेड इन (2013) 6 एससीसी 384; मोनीका बेदी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, रिपोर्टेड इन (2011) 1 एससीसी 248; ईश्वरलाल गिरधरलाल पारेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, रिपोर्टेड इन एआईआर 1969 एससी 453-457 (एससी 40); भारत संघ बनाम वेंकटेशन एस., रिपोर्टेड इन

(2002) 5 एससीसी 285; राजीव कौरव बनाम बैसाहब, रिपोर्टेड इन (2020) 3 एससीसी 317; स्वर्ण सिंह बनाम राज्य, रिपोर्टेड इन (2008) 8 एससीसी 435; विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, रिपोर्टेड इन 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; बिहार खनिज (अवधिपत्र, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019

मुख्य शब्दों की सूची

अवैध बालू खनन; ई-चालान; धारा 22 एमएमडीआर अधिनियम; चोरी; पर्यावरणीय स्वीकृति

प्रकरण से उत्पन्न

औरंगाबाद एवं रोहतास जिलों में दर्ज कई प्राथमिकी जिनमें बारून थाना कांड संख्या 318/2021 प्रमुख है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री माधव खुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, सरकारी अधिवक्ता-VII
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से : श्री जौहेब हुसैन, विशेष अधिवक्ता; श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक; श्री प्रभात कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक; श्री प्रांजल त्रिपाठी, सहायक अधिवक्ता
खनन विभाग की ओर से : श्री नरेश दीक्षित, अधिवक्ता; श्री कुमार हर्षवर्धन, सहायक अधिवक्ता (खनन)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 299

थाना मामला सं. -318 वर्ष-2021 थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष) पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम - बलिहार, डाकघर - दुल्लहपुर, थाना - सिमरी, जिला - बक्सर।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-406 वर्ष-2021 थाना- डेहरी टाउन जिला- रोहतास

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदाशिव प्रसाद सिंह पुत्र मालेश्वर सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी

मंजिल, कोलकाता- 700069 में है, निवासी 410, गणेशालय अपार्टमेंट, झारूडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया, धनबाद- झारखंड, 826001

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार के माध्यम से, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रमुख सचिव, गृह, सरकार बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी (टाउन) पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 13

थाना से उत्पन्न केस संख्या-141 वर्ष-2021 थाना- तिलौथू जिला- रोहतास

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव प्रसाद सिंह पिता मालेश्वर सिंह के माध्यम से जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700069 में है, निवासी- 410, गणेशालय अपार्टमेंट, झारूडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया, धनबाद- झारखंड 826001

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार के माध्यम से, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, सरकार बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, तिलहौतू पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 290

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-82 वर्ष-2021 थाना- रिसियाप जिला- औरंगाबाद

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, आयु लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता- श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम - बलिहार, डाकघर- दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला - बक्सर।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, ऋषियुप पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद। बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद बिहार

... उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 292

थाना संख्या-374 वर्ष-2021 थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद से उत्पन्न

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता 700069 में है, उम्र लगभग 29 वर्ष (पुरुष) पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम बलिहार, डाकघर- दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला- बक्सर।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार

3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दाउदनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 295

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-481 वर्ष-2021 थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता- 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता श्री मुरली सिंह, निवासी गांव बलिहार, डाकघर दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला- बक्सर के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार

5. प्रभारी अधिकारी, दाउदनगर पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विभाग अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 305

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-264 वर्ष-2021 थाना- बरून जिला- औरंगाबाद

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह पिता श्री मुरली सिंह एक कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069 में है, निवासी गांव- बलिहार, डाकघर- दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला- बक्सर।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, सरकार के माध्यम से । बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, पटना।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, पटना।
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
6. प्रधान सचिव, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, पटना।

7. सहायक निदेशक, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, पटना
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, औरंगाबाद।

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 311

थाना मामला संख्या-47 वर्ष-2021 थाना-नारली कला खुर्द जिला औरंगाबाद से उत्पन्न

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष (पुरुष), पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम-बलिहार, डाकघर दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला बक्सर के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नरारी कला पुलिस स्टेशन- औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

... उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 312

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-202 वर्ष-2021 थाना- नवीनगर जिला- औरंगाबाद

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कलकत्ता- 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष (पुरुष) पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम बलिहार, डाकघर दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला बक्सर के माध्यम से।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... ... उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 320

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-176 वर्ष-2021 थाना- बरुन जिला- औरंगाबाद

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता- 700069 में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष (पुरुष) पिता श्री मुरली सिंह, निवासी ग्राम- बलिहार, डाकघर दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला बक्सर के माध्यम से।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव गृह सरकार के माध्यम से, बिहार पुराना सचिवालय, पटना।
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बारुण पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार

... ... उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 417

थाना मामला संख्या-253 वर्ष-2020 थाना- नवीनगर जिला- औरंगाबाद से उत्पन्न

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर थाना, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार ।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार ।
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार ।
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार ।

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 428

थाना संख्या-125 वर्ष-2021 थाना- दरिहाट जिला- रोहतास से उत्पन्न

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी ग्राम सरनारायण, थाना दरियापुर, जिला - सारण के माध्यम से है।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह के माध्यम से बिहार सरकार पुराना सचिवालय, पटना, बिहार।
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दरिहट पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 436

थाना संख्या-349 वर्ष-2021 थाना- डेहरी टाउन जिला- रोहतास से उत्पन्न

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार उम्र लगभग

33 वर्ष पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी गांव सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य प्रमुख सचिव, गृह, सरकार के माध्यम से, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी (टाउन) पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. मेन्स इंस्पेक्टर, जिला खनन अधिकारी, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 484

थाना से उत्पन्न केस संख्या-954 वर्ष-2020 थाना- डेहरी टाउन जिला- रोहतास

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी गांव- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी थाना, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 494

थाना से उत्पन्न मामला संख्या- 126 वर्ष-2021 थाना- नासरीगंज जिला- रोहतास

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता- 700069 में है, पिता -श्री तपेश्वर सिंह, निवासी ग्राम सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार

2. प्रधान सचिव, गृह, सरकार, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नासरीगंज पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 554

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-204 वर्ष-2021 थाना- नवीनगर जिला- औरंगाबाद

=====

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार सिंह पिता श्री मुरली सिंह के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता- 700069, निवासी ग्राम बलिहार, डाकघर दुल्लहपुर, थाना- सिमरी, जिला- बक्सर ।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार

6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 611

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-2 वर्ष-2022 थाना- एनटीपीसी खैरा जिला-
औरंगाबाद

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता 700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुवंत कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष (पुरुष), पिता श्री तपेश्वर सिंह निवासी गांव - सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य प्रमुख सचिव, गृह सरकार के माध्यम से, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, एनटीपीसी पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार

7. सहायक निदेशक, खान और भूतत्व विभाग। बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार।
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 619

थाना से उत्पन्न केस संख्या-38 वर्ष-2022 थाना- नवीनगर जिला- औरंगाबाद

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता 700069 में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुवंत कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष (पुरुष), पिता श्री तपेश्वर सिंह, निवासी गांव- सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला- सारण के माध्यम से

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, गृह के माध्यम से बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, नवीनगर पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, सरकार, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, औरंगाबाद, बिहार

9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद, बिहार
10. खनिज विकास अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 634

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-47 वर्ष-2021 थाना- कच्छवा जिला- रोहतास

=====

आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुवंत कुमार के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित जिसका पंजीकृत कार्यालय 12, वाटरलू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता - 700069 में है, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्र श्री तपेश्वर सिंह, निवासी गांव - सरनारायण, थाना- दरियापुर, जिला - सारण।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से, बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, कच्छवां पुलिस स्टेशन, रोहतास, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास, बिहार

... .. उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति :

(2022 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 299 और इसके अनुरूप मामलों में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :	श्री माधव खुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए :	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए.-VII ईडी के लिए
	श्री जोहैब हुसैन, विशेष अधिवक्ता
	श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष लो.अ.
	श्री प्रभात कुमार सिंह, विशेष लो.अ.
	श्री प्रांजल त्रिपाठी, श्री हुसैन के जे.सी.।
खानों के लिए :	श्री नरेश दीक्षित, अधिवक्ता
	श्री कुमार हर्षवर्द्धन, विशेष लो.अ. के एसी (खान)

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा
सीएवी निर्णय

दिनांक:16.05.2025

इन सभी रिट आवेदनों में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव खुराना, राज्य की ओर से विद्वान जी.ए.-VII श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, खान विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश दीक्षित और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री जोहैब हुसैन को सुना।

2. याचिकाकर्ता(ओं) ने ये रिट आवेदन दायर करके निम्नलिखित राहत की मांग की है:

1.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 299	(i) बारुण थाना कांड संख्या 318/2021, जो दिनांक 19.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के
----	------------------------------------	---

		नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को बारुण थाना कांड संख्या 318/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
2.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 05	(i) डेहरी (शहर) थाना कांड संख्या 406/2021, जो दिनांक 03.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39 (3), 56 (2) के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी

		भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को डेहरी (शहर) थाना कांड संख्या 406/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
3.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 13	i) तिलौथू थाना कांड संख्या 141/2021, जो दिनांक 03.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को तिलौथू थाना कांड संख्या 141/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या

		निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अभिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
4.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 290	(i) ऋषियप थाना कांड संख्या 82/2021, जो दिनांक 27.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को ऋषियप थाना कांड संख्या 82/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता

		को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
5.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 292	(i) दाउदनगर थाना कांड संख्या 374/2021, जो दिनांक 06.07.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 और 120बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 56/56(2) के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को दाउदनगर थाना कांड संख्या 374/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया

		जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
6.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 295	(i) दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021, जो दिनांक 26.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में

		हकदार पाया जाए।
7.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 305	(i) बारूण थाना कांड संख्या 264/2021, जो दिनांक 26.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण को बारूण थाना कांड संख्या 264/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
8.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 311	(i) नरारी कला थाना कांड संख्या 47/2021, जो दिनांक 21.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019

		के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नरारी कला थाना कांड संख्या 47/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
9.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 312	(i) नवीनगर थाना कांड संख्या 202/2021, जो दिनांक 26.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है।

		(ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नवीनगर थाना कांड संख्या 202/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
10.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 320	(i) बारुण थाना कांड संख्या 176/2021, जो दिनांक 06.07.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 और 120बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56/56(2) के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को बारुण थाना कांड संख्या 176/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

		(iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
11.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 417	(i) नवीनगर थाना कांड संख्या 253/2020, जो दिनांक 03.12.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नवीनगर थाना कांड संख्या 253/2020 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है।

		(iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
12.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 428	(i) दारीहाट थाना कांड संख्या 125/2021, जो दिनांक 06.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 और 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3) और 56(2) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को दारीहाट थाना कांड संख्या 125/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए।

		(v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
13.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 436	(i) डेहरी (शहर) थाना कांड संख्या 349/2021, जो दिनांक 01.07.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39 (2), 39 (3), 56 (2) के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को डेहरी (शहर) थाना कांड संख्या 349/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
14.	2022 का	(i) डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओपी) थाना कांड संख्या

	सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 484	954/2020, जो दिनांक 04.12.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 406, 420, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21, और बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओपी) थाना कांड संख्या 954/2020 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अभिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
15.	2022 का	(i) नसरीगंज थाना कांड संख्या 126/2021, जो

	सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 494	दिनांक 06.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नसरीगंज थाना कांड संख्या 126/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
16.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 554	(i) नवीनगर थाना कांड संख्या 204/2021, जो दिनांक 27.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश

		या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नवीनगर थाना कांड संख्या 204/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
17.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 611	(i) एनटीपीसी कायरा थाना कांड संख्या 02/2022, जो दिनांक 05.02.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 और 34 बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 43, 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को एनटीपीसी कायरा थाना कांड संख्या 02/2022 के अनुसरण में

		याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
18.	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 619	(i) नवीनगर थाना कांड संख्या 38/2022, जो दिनांक 03.02.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 43 और 56 के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को नवीनगर थाना कांड संख्या 38/2022 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और

		अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अभिनिर्धारित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
--	--	--

19	2022 का सीआरडब्ल्यूजेसी संख्या 634	(i) कछवा थाना कांड संख्या 47/2021, जो दिनांक 07.08.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3) और 56(2) के कथित अपराधों के तहत पंजीकृत किया गया है, को इस आधार पर रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में एक समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि यह पूर्णतः अवैध एवं विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को कछवा थाना कांड संख्या 47/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में अग्रिम समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। (iii) माननीय न्यायालय यह न्यायनिर्णय करे और अभिनिर्धारित करे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षतियों के लिए वाद व्यय और उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। (v) कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों प्रदान/अधिनिर्णित किए जाएं जिनके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाए।
----	------------------------------------	--

मामले की कानूनी पृष्ठभूमि

3. इन मामलों पर निर्णय देने से पहले, मैं इन मामलों के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

4. इन मामलों को विस्तार से सुनने के बाद, इस न्यायालय की विद्वत समन्वय पीठ ने 28.09.2022 के फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन, फैसला सुनाए जाने से पहले, 02.11.2022 को, अदालत ने मेसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2018(4) पीएलजेआर 706 में रिपोर्टेड, में अपने पूर्व के निर्णय तथा जयंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 2 एससीसी 670 में रिपोर्टेड और दिल्ली राज्य (एनसीटी) बनाम संजय (2014) 9 एससीसी 772 में रिपोर्टेड, के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संज्ञान लिया और चूंकि इन निर्णयों का न्यायनिर्णयन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, अतः पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को उपरोक्त वर्णित निर्णयों के संदर्भ में न्यायालय को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया।

5. दिनांक 04.11.2022 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संजय (उपरोक्त) और जयंत (उपरोक्त) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, अपने पूर्व के मत को दोहराया कि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है, और इस स्तर पर इन मामलों की जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [आपराधिक रिट याचिका सं. 540/2019] और आपराधिक रिट याचिका सं. 1233/2021 (आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में, जो दिनांक 07.04.2022 को निपटाया गया था, इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से असहमत होने में असमर्थता व्यक्त की।

6. न्यायालय के विविध मत को कानून और इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुरूप बनाने हेतु, इस न्यायालय की

विद्वान समन्वय पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर इन मामलों को खंडपीठ को संदर्भित किया:

(i) क्या एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 22 को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56 के साथ पढ़ने पर, नदी तल से बालू के खनन के मामले में, खनन योजना के बाहर या उसके प्रतिकूल तथा पर्यावरण स्वीकृति के उल्लंघन में, किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराधों के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, विशेषतः नियम 56 के उप-नियम (7) के खंड (v) और संजय तथा जयंत के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में?

(ii) क्या पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक अनुज्ञप्ति बिंदु से बालू की कथित चोरीपूर्ण बिक्री, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ हुआ है, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत एक पुलिस मामले के माध्यम से पुलिस द्वारा जांच के अधीन की जा सकती है?

(iii) क्या मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (आपराधिक रिट याचिका सं. 1233/2021) के मामलों में विद्वान समन्वय पीठों के निर्णय, समान शक्ति की पूर्व पीठ के निर्णय को संज्ञान में न लेने के कारण 'अनवधानता के कारण' हैं, अतः कानून का सही कथन स्थापित नहीं करते हैं?

7. इस न्यायालय की पीठ ने दिनांकित **09.02.2024** के आदेश के माध्यम से पैरा 26 में उपरोक्त संदर्भ का निम्नलिखित तरीके से उत्तर दिया:

“26. तदनुसार, हम हमें संदर्भित किए गए प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार देते हैं:

(i) नदी तल से बालू के खनन के मामले में, यदि खनन कार्य खनन योजना के बाहर या उसके प्रतिकूल किया जाता है और पर्यावरण स्वीकृति का उल्लंघन होता है, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराधों के आरोप में एक अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, और इस पर एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 22, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56 के साथ पठित होने पर भी, कोई रोक आकर्षित नहीं होगी।

(ii) पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक अनुज्ञप्ति बिंदु से बालू की कथित चोरीपूर्ण बिक्री और जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि तथा याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ हुआ है, उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 406, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, और जांच अधिकारी के लिए इसकी जांच करना खुला है।

(iii) मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (आपराधिक रिट याचिका सं. 1233/2021) के मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों को '*अनवधानता के कारण*' कहा जा सकता है, क्योंकि मेसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को उद्धृत और विचार नहीं किया गया था।

8. इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के निर्णय के उपरांत, मामलों को सुनवाई हेतु विशेष रूप से इस न्यायालय को सौंपा गया, जहाँ दिनांक 20.02.2025 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में "ईडी") को एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया। यह इंगित किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय का हित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित था और उसे विशेष न्यायालय के समक्ष जांच के दौरान भी अनुसूचित अपराधों की सामग्री का निरीक्षण करने की

अनुमति दी गई थी। साथ ही, जहाँ तक धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले का संबंध है, विजय मदनलाल चौधरी के मामले (उपरोक्त) का अनुपात ही न्यायालय के लिए एकमात्र मार्गदर्शक कानूनी नोट उपलब्ध है। अतः, प्रवर्तन निदेशालय को एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करके कम से कम सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुनवाई का अवसर याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रहित नहीं करेगा, बल्कि ऐसा कोई भी इनकार प्रवर्तन निदेशालय को पूर्वाग्रहित करेगा, जो व्यापक अर्थ में वर्तमान अपराध (अनुसूचित अपराध) की सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, जो भ्रष्टाचार का मूल है, और इस प्रकार, राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक हित के विरुद्ध है, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का मामला आधारित है।

याचिकाकर्ता आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित प्राथमिकियां		
वाद संख्या	प्राथमिकी	आरोप-प्रत्यारोप
2022 का सीआरडब्ल्यूजे सी संख्या 299	बारुण थाना कांड संख्या 318/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के तहत पंजीकृत।	के-अनुज्ञप्ति स्थल पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 18000 घनफीट बालू पाया गया, जबकि पीएमयू रिपोर्ट में 2265700 घनफीट बालू का उल्लेख था। यह देखा गया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू बेचा है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 11,72,50,032/-

		रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यूजे सी संख्या 05	डेहरी नगर थाना कांड संख्या 406/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3), 56(2) के तहत पंजीकृत। ¹⁰	के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 162700 घनफीट बालू पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 12377875 घनफीट उल्लेखित किया गया था। यह संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 36,55,29,750/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यूजे सी संख्या 13	तिलौथू थाना कांड संख्या 141/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11 और 56 के तहत पंजीकृत।	के-अनुज्ञप्ति स्थल पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 173000 घनफीट बालू पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 619400 घनफीट उल्लेखित किया गया है। यह संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 01,51,77,600/- रुपये का

		राजस्व घाटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यूजे सी संख्या 290	रिसियप थाना कांड संख्या 82/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के तहत पंजीकृत।	तीन के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान, कुल बालू शेष शून्य पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 183300 घनफीट बालू उल्लेखित किया गया था। यह संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने 1,83,300 घनफीट बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 95,70,928/- रुपये का राजस्व घाटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यूजे सी संख्या 292	दाउदनगर थाना कांड संख्या 374/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420, 120 बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56, 56(2) के तहत पंजीकृत।	के-अनुज्ञप्ति स्थलों के स्टॉक के निरीक्षण के दौरान: के औरंगाबाद/3/2021 पर, पी.एम.यू. रिपोर्ट में उल्लिखित मात्रा से 7790 मीट्रिक टन कम बालू पाया गया; के. औरंगाबाद 10/2021 पर, कोई बालू नहीं पाया गया, बल्कि पी.एम.यू. रिपोर्ट में 88389 मीट्रिक टन बालू का स्टॉक दर्शाया गया था; और गैर-नवीनीकृत स्थल पर कोई बालू नहीं पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे

		23446 मीट्रिक टन बालू दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, बिघाट घाट अनुज्ञप्ति स्थल पर नदी के 300 मीटर अंदर बालू का कोई स्टॉक नहीं पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 4230670 घनफीट और 3509565 घनफीट दर्शाया गया था। लिखित रिपोर्ट में राजस्व हानि की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 295	दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के तहत पंजीकृत।	तीन के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 205350 घनफीट बालू पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 708830 घनफीट दर्शाया गया है। यह संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 02,59,22,752/- रुपये का राजस्व घाटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या	बारुण थाना कांड संख्या 264/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा	पांच के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 795445 घनफीट बालू पाया

305	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के तहत पंजीकृत।	गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 3798233 घनफीट बालू दर्शाया गया है, अतः यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने 3002788 घनफीट बालू बिना पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बेचा है। यह भी आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 15,66,35,422/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 311	नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या 47/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के तहत पंजीकृत।	दो के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान कुल 40850 घनफीट बालू पाया गया, जबकि पी.एम.यू. रिपोर्ट में इसे 3672775 घनफीट दर्शाया गया है। यह संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने 3631925 घनफीट बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 18,94,51,208/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का	नवीनगर थाना कांड संख्या	के-अनुज्ञप्ति स्थल पर स्टॉक के

सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 312	202/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के तहत पंजीकृत।	निरीक्षण के दौरान, यह संज्ञान में आया कि पी.एम.यू. रिपोर्ट में उल्लिखित मात्रा से 13,37,050 घनफीट बालू अधिक था। यह कथित रूप से दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने अवैध रूप से बालू का खनन किया था और पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना उसे बेचा था। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को क्रमशः 06,97,50,528/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 320	बारुण थाना कांड संख्या 176/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420, 120 बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56 और 56(2) के तहत पंजीकृत।	इस मामले में यह आरोप है कि वेबसाइट पर बालू का स्टॉक 'शून्य' दर्शाया गया था। निरीक्षण के दौरान, अनुज्ञप्ति स्थल संख्या 20/20 पर 0497500 घनफीट बालू पाया गया। एक अन्य स्थान, अनुज्ञप्ति स्थल संख्या 22/20 पर भी, वेबसाइट पर स्टॉक 'शून्य' दिखा रहा था, किंतु निरीक्षण के दौरान 52500 घनफीट बालू पाया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं हुआ था, फिर भी याचिकाकर्ता उस स्थान पर बालू के भंडारण में संलिप्त था,

		जो अवैध रूप से बालू निकालने और उसकी चोरी से बिक्री करने के उसके इरादे को दर्शाता है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 417	नवीनगर थाना कांड संख्या 253/2020, जो दिनांक 03.12.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 420 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत।	इस मामले में यह आरोप है कि 561 फीट x 40 फीट x 15 फीट आयामों वाले क्षेत्र से बालू का खनन किया गया था, जो पर्यावरण स्वीकृति में उल्लिखित अनुमेय क्षेत्र के बाहर था। यह आरोप है कि यह पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन है और सरकारी राजस्व की चोरी है, जिससे 57,82,690/- रुपये का घाटा हुआ है।
2021 का सीआरडब्ल्यू जेसी सं. 428	दारीहाट थाना कांड संख्या 125/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420, 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3), 56(2) के तहत पंजीकृत।	इस मामले में, कुल पाँच के-अनुज्ञप्ति स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान, विभिन्न स्थानों पर बालू की मात्रा काफी कम पाई गई, जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को क्रमशः 64,60,98,600/- रुपये का

		राजस्व घाटा हुआ है।।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 436	डेहरी नगर थाना कांड संख्या 349/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), (3) और 56(2) के तहत पंजीकृत।	इस मामले में, के-अनुज्ञप्ति स्थल पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान 33,65,300 घनफीट बालू नहीं पाया गया, जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 484	डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओपी) थाना कांड संख्या 954/2020, दिनांक 04.12.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379/406/420; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15; खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21; तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 56 के तहत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत।	यह आरोप है कि दिनांक 04.12.2020 को किए गए निरीक्षण के दौरान, 584 फीट x 218 फीट x 2.9 फीट आयामों वाले एक क्षेत्र से बालू का खनन किया गया था, जिससे पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित अनुमेय क्षेत्र के बाहर लगभग 3,69,204 घनफीट बालू का उत्खनन किया गया। यह आरोप है कि यह पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन और सरकारी राजस्व की चोरी है, जिससे 63,24,465/- रुपये का घाटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 494	नसरीगंज थाना कांड संख्या 126/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं	इस मामले में, कुल छह के-अनुज्ञप्ति स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान, विभिन्न स्थानों पर

	भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39, 56 के तहत पंजीकृत।	बालू की मात्रा काफी कम पाई गई, जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 32,86,78,850/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 554	नवीनगर थाना कांड संख्या 204/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 के तहत पंजीकृत।	इस मामले में, तीन के-अनुज्ञप्ति स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-अनुज्ञप्ति स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान, विभिन्न स्थानों पर बालू की मात्रा काफी कम पाई गई, जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। इससे सरकारी खजाने को 13,05,06,913/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 611	एनटीपीसी कायरा थाना कांड संख्या 02/2022, दिनांक 05.02.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411,	इस मामले में परिवादी, खान निरीक्षक ने थानाध्यक्ष, एनटीपीसी कायरा पुलिस स्टेशन को एक लिखित रिपोर्ट

	420 और 34बी तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 43 और 56 के तहत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत।	प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने धुंधुआ बालू घाट के 300 मीटर के दायरे में 5540650 घनफीट बालू का भंडारण किया था, जो पूर्व निरीक्षण के दौरान मौजूद पाया गया था। हालांकि, वर्तमान में कोई बालू मौजूद नहीं है। अतः, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, उसके संचालक/कर्मचारियों ने ई-परमिट चालान जारी किए बिना उक्त बालू का परिवहन किया है, जिससे 28,89,54,898/- रुपये का घाटा हुआ है।
सीआरडब्ल्यू जेसी 2022 का सं. 619	नवीनगर थाना कांड संख्या 38/2022, दिनांक 03.02.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 43 और 56 के तहत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत।	इस मामले में, परिवादी खान निरीक्षक ने थानाध्यक्ष, नवीनगर पुलिस स्टेशन को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया कि मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने डेंगवार-बी बालू घाट के 300 मीटर के भीतर 2143600 घनफीट बालू का भंडारण किया था, जो पूर्व निरीक्षण के दौरान मौजूद पाया गया था। हालांकि, वर्तमान में कोई बालू मौजूद नहीं है। अतः, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, उसके संचालक/कर्मचारियों ने

		ई-ट्रांजिट चालान जारी किए बिना बालू का परिवहन किया है, जिससे 11,17,98,740/- रुपये का घाटा हुआ है।
2022 का सीआरडब्ल्यू जेसी संख्या 634	कछवां थाना कांड संख्या 47/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3), 56(2) के तहत पंजीकृत।	इस मामले में, दो के-अनुज्ञप्ति स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-अनुज्ञप्ति स्थल पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान, विभिन्न स्थानों पर बालू की मात्रा काफी कम पाई गई, जो यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए बिना बालू का विक्रय किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्तिधारी ने बालू की चोरी से बिक्री की है और प्रपत्र 'जे' में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। स्थल पर नाम, भूमि का विवरण, अनुज्ञप्ति संख्या और बालू की दर दर्शाने वाला बोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को 78,57,400/- रुपये का राजस्व घाटा हुआ है।

मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

9.1. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 12 वाटरलू स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है और यह बालू खनन और इसकी बिक्री का व्यवसाय करती है।

9.2. 2014 में, खनन विभाग, बिहार राज्य ने बिहार राज्य में बालू घाटों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसके अनुसार बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 5 साल की अवधि के लिए यानी 2015 से 2019 तक बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

9.3. उक्त नीलामी के अनुसार, याचिकाकर्ता, जो निविदा प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, को रोहतास और औरंगाबाद जिलों में बालू घाटों का बंदोबस्ती करने की अनुमति दी गई थी, जिनकी 2015-2019 की अवधि के लिए एक इकाई के रूप में नीलामी की गई थी। बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए समझौतों में कहा गया है कि दो जिलों को खनन विभाग, बिहार राज्य और याचिकाकर्ता के बीच 21.04.2015 और 24.07.2015 को निष्पादित किया गया था।

9.4. बालू नीति अधिसूचना संख्या 2887 दिनांक 22.07.2014 और रोहतास और औरंगाबाद में याचिकाकर्ता के बंदोबस्ती से संबंधित निविदा दस्तावेजों ने वार्षिक किश्त राशि के भुगतान की अनुसूची प्रदान की। इसलिए, पूरी रॉयल्टी राशि खनन विभाग, बिहार राज्य को अग्रिम रूप से देय थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत भुगतान किया गया और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया।

9.5. यह याचिकाकर्ता ही था जिसने पहली बार अवैध खनन के खतरे को सामने लाया। याचिकाकर्ता ने औरंगाबाद और रोहतास के घाटों पर अवैध खनन के बारे में खनन विभाग और पुलिस को समय-समय पर कई शिकायतें लिखीं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता को लगातार अवैध खनन से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए, 2019 में, याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य में अवैध बालू खनन के पीड़ित के रूप में, इस माननीय न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4671/2019 'मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड

बनाम बिहार राज्य और अन्य' दायर किया, जिसमें अवैध खनन और बालू के परिवहन को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों से निर्देश मांगे गए। अवैध बालू खनन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कई निर्देशों के साथ दिनांकित 09.08.2019 के निर्णय द्वारा इसका निपटारा किया गया।

9.6. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 ("2019 नियम") के साथ बिहार बालू खनन नीति, 2019 को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की है।

9.7. 2015 के बंदोबस्त समझौतों की शर्तों के अनुसार, मौजूदा बंदोबस्त, की अवधि 31.12.2019 को समाप्त होनी थी। हालाँकि, संभावित नए पट्टेदारों के साथ सांविधिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन संबंधी विवाद उत्पन्न होने के कारण, राज्य सरकार ने 27.12.2019 को 2019 के नियमों के नियम 77(2) का आह्वान किया, जिसके तहत मौजूदा पट्टेदारों (याचिकाकर्ता सहित) की बंदोबस्त अवधि 31.10.2020 तक या नए संभावित पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई थी। यह भी निर्णय लिया गया कि 2019 के लिए बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

9.8. 14.09.2020 को, याचिकाकर्ता के रोहतास और औरंगाबाद, दोनों जिलों के लिए बंदोबस्त अवधि को 31.10.2020 से 31.12.2020 तक 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। 30.12.2020 को, बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 31.12.2020 को समाप्त होने वाली बंदोबस्त अवधि को 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया।

9.9. 16.12.2020 को, बिहार राज्य ने ज्ञापांक संख्या 8563/2020 के माध्यम से बालू और पत्थर की चिप्स के परिवहन के लिए 14-पहिया ट्रकों के

उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ता जो पहले से ही बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण नुकसान झेल रहे थे, उन्हें आने वाले महीनों (जनवरी-मार्च 2021) में और नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन्हीं 14-पहिया ट्रकों का उपयोग करके बड़ी प्रतिशत बालू का परिवहन किया गया था।

9.10. प्रधान सचिव ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा।

9.11. इसके बाद, याचिकाकर्ता के बंदोबस्त अवधि को दो मौकों पर क्रमशः 3 और 6 महीने की अवधि के लिए 30.12.2020 और 31.03.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ा दिया गया।

9.12. 20.04.2021 को, याचिकाकर्ता, जो बिहार में अवैध खनन की व्यापकता, 14-पहिया ट्रकों पर प्रतिबंध और कोविड-19 के कारण व्यवसाय में मंदी के कारण भारी नुकसान झेल रहा था, ने 2019 के नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारियों, अर्थात् औरंगाबाद और रोहतास के संबंधित कलेक्टरों को, अपने दोनों बंदोबस्तों को अभ्यर्पण करने के लिए लिखा।

9.13. रोहतास और औरंगाबाद जिलों के कलेक्टरों ने 2019 के नियमों के नियम 50 (1) के कथित गैर-अनुपालन का दावा करते हुए बंदोबस्ती को अभ्यर्पण करने के याचिकाकर्ता के उपरोक्त अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई समर्पण करना हो, तो कम से कम 6 महीने का नोटिस देना होगा। हालांकि, विस्तार केवल 6 महीने के लिए था, याचिकाकर्ता 6 महीने का नोटिस नहीं दे सका।

9.14. 01.05.2021 को,, औरंगाबाद और रोहतास के कलेक्टरों ने बिहार राज्य के खनन विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के सभी स्टॉक-होल्ड क्षेत्रों से बालू के परिवहन के लिए उसके ई-चालान या ऑनलाइन पोर्टल के सृजन की अनुमति को और याचिकाकर्ता के स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति को उसके सभी स्टॉकहोल्ड क्षेत्रों की भौतिक पुष्टि होने तक निलंबित कर दिया जाए।

9.15. इसके बाद, औरंगाबाद स्थित इकाई में एस.डी.ओ., दाउदनगर और एस.डी.ओ., औरंगाबाद द्वारा स्टॉकहोल्ड क्षेत्रों का दो बार भौतिक सत्यापन किया गया, जिन्होंने फिर निरीक्षण की गई इकाइयों पर पाई गई बालू की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट 11.05.2021 को समाहर्ता, औरंगाबाद को अग्रेषित की। अंचलाधिकारी, बरून ने भी औरंगाबाद में स्टॉकहोल्ड क्षेत्रों में जमा बालू का सत्यापन किया और निरीक्षण की गई इकाइयों पर पाई गई बालू की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए रिपोर्ट 09.05.2021 को एस.डी.ओ., औरंगाबाद को अग्रेषित की।

9.16. इसके साथ ही, एसडीओ, डेहरी द्वारा सहायक, निदेशक, खनन विभाग, बिहार राज्य के साथ रोहतास में इकाई के स्टॉकहोल्ड क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसके बाद, अधिकारियों ने निरीक्षण की गई इकाइयों में पाई गई बालू की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट रोहतास के समाहर्ता को सौंपी।

8.17. अपर समाहर्ता, औरंगाबाद ने दिनांक 08.07.2021 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को 95,78,50,800/- रुपये की बकाया रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए कहा, हालांकि, किसी भी विसंगति या गलत काम का कोई आरोप नहीं लगाया गया।

9.18. 10.07.2021 को निदेशक, खान एवं खनिज ने दैनिक भास्कर में एक नोटिस जारी कर आम जनता से सीधे के-अनुज्ञप्ति धारकों से बालू खरीदने को कहा। हालाँकि, 17.08.2021 पर, याचिकाकर्ता का के-अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

9.19. दिनांक 04.09.2021 को निदेशक, खनन विभाग, बिहार राज्य ने याचिकाकर्ता से जब्त की गई बालू की बिक्री में तेजी लाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। पत्र के साथ, एक रिपोर्ट संलग्न की गई थी जिसमें औरंगाबाद और रोहतास में याचिकाकर्ता द्वारा रद्द किए गए के-अनुज्ञप्ति स्थलों से जब्त की गई बालू की मात्रा निर्दिष्ट की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस स्तर पर, गणना की गई बालू की मात्रा लगभग उतनी ही थी जितनी पहले गणना की गई थी और 10.07.2021 को समाचार पत्र में विज्ञापित की गई थी।

9.20. इसके बाद, 16.09.2021 को, प्राथमिकी के अनुसार, 18000 घन फीट तक बालू की मात्रा दर्ज की गई। हालाँकि, पीएमयू द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार, अनुज्ञप्ति प्राप्त स्थल पर संग्रहीत बालू की मात्रा 2265700 घन फीट है। नतीजतन, प्राथमिकी दर्ज की गई।

9.21. याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका संख्या 1233/2021 दायर की, जिसका शीर्षक "मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी बनाम बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, बिहार के माध्यम से" था, जिसमें प्राथमिकी 407/2021 को चुनौती दी गई थी। इस माननीय न्यायालय ने 07.04.2022 दिनांकित निर्णय में उक्त प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

9.22 तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सदाशिव प्रसाद सिंह ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी 407/2021 के संबंध में एक जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जो आपराधिक विविध संख्या 8423/2023 के रूप में 'सदाशिव प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य' शीर्षक से था, जहाँ इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.05.2023 के निर्णय द्वारा उन्हें जमानत प्रदान किया था और निम्नलिखित अवलोकन किया था:

क. याचिकाकर्ता औरंगाबाद और रोहतास के घाटों का एक बंदोबस्तधारी था।

ख. बंदोबस्त की अवधि 01.04.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई थी और याचिकाकर्ता ने बंदोबस्ती की पहली किस्त का भुगतान किया था।

ग. याचिकाकर्ता ने 01.05.2021 से बंदोबस्त को अभ्यर्पण कर दिया था और 11.05.2021 को एस.डी.एम., दाउदनगर द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें स्टॉक पॉइंट पर 30,26,000/- घन फुट बालू पाई गई थी।

घ. स्टॉक के अभ्यर्पण होने के बाद, खनन विभाग द्वारा बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए।

इ. खनन विकास अधिकारी ने थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया था कि वे बंदोबस्तधारी के स्टॉक बिंदुओं पर पड़े स्टॉक की सुरक्षा का ध्यान रखें।

च. उपरोक्त तथ्यों का प्राथमिकी में खुलासा नहीं किया गया है। छ. याचिकाकर्ता द्वारा 01.05.2021 को अभ्यर्पण किए गए बंदोबस्त क्षेत्रों में स्टॉक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई थी, उनकी संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9.23. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त 18 याचिकाएं दायर कीं। इस माननीय न्यायालय ने, दिनांक 04.11.2022 के निर्णय द्वारा, उपरोक्त 12 रिट याचिकाओं को इस माननीय न्यायालय की एक खंडपीठ को संदर्भित करने की कृपा की।

9.24. दिनांक 09.02.2024 के आदेश द्वारा, इस माननीय न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने दिनांक 04.11.2022 के निर्णय द्वारा किए गए संदर्भ का उत्तर देने की कृपा की और मामले को सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया, जो अब इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। दिनांक 09.02.2024 के निर्णय द्वारा, इस माननीय न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने माना कि इस माननीय न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश का दिनांक 07.04.2022 का निर्णय "अनवधानता के कारण" है, क्योंकि अपना निर्णय देते समय इस माननीय न्यायालय के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1901/2017, जिसका शीर्षक "ब्रॉड सन कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य और अन्य" था, में दिए गए पूर्व निर्णय पर विचार नहीं किया गया था।

10. इसलिए, याचिकाकर्ता (ओं) ने उपरोक्त याचिका को रद्द करने की मांग की है

याचिकाकर्ता (ओं) की प्रस्तुति

11. याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव खुराना ने कहा कि प्राथमिकी किसी भी अपराध, विशेषकर किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा किए बिना दर्ज की गई है और केवल इस आधार पर ही इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 16.09.2021 को अनुज्ञप्तिधारी, यानी वर्तमान याचिकाकर्ता के के-अनुज्ञप्ति संख्या 07/2021 वाले स्थल पर किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान, बालू की मात्रा 18000 घन फुट दर्ज की गई थी। हालाँकि, पीएमयू द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार,

अनुज्ञप्ति प्राप्त स्थल पर भंडारित बालू की मात्रा 2265700 घन फुट थी। अतः, अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों/संचालकों ने बिना पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए 2247700 घन फुट बालू का अवैध रूप से प्रेषण किया है और चोरी का अपराध किया है।

13. श्री खुराना ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भा.दं.सं. की धारा 379 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। भा.दं.सं. की धारा 379 चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 378 "चोरी" का वर्णन करती है, जो इस प्रकार है:

"धारा 378:- जो कोई भी, उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता वैध अनुज्ञप्तिधारी नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम रूप से रॉयल्टी का भुगतान करना था और के-अनुज्ञप्ति स्थल पर पाई गई तथा पीएमयू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लिखित बालू रॉयल्टी-भुगतान की गई थी। अतः, बालू का भुगतान किया जा चुका है और वह याचिकाकर्ता की है। याचिकाकर्ता पर स्वयं से बालू चुराने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह आरोप है कि 16.09.2021 को निरीक्षण के समय, याचिकाकर्ता, उसके अभिकर्ता या उसके कर्मचारी के-अनुज्ञप्ति स्थल के कब्जे में नहीं थे और यह 01.05.2023 से खनन विभाग के कब्जे में था। यह आरोप है कि याचिकाकर्ता, उसके अभिकर्ता या उसके कर्मचारियों के विरुद्ध यह आरोप नहीं है कि उन्होंने के-अनुज्ञप्ति स्थलों में प्रवेश किया और बेईमानी से बालू हटाने के

इरादे से, खनन अधिकारियों की सहमति के बिना उनके कब्जे से बालू हटाई, इसलिए, याचिकाकर्ता, उसके अभिकर्ता या उसके कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के तहत चोरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

15. श्री खुराना ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बालू रॉयल्टी का भुगतान की गई है और इसलिए यह याचिकाकर्ता की है, यदि याचिकाकर्ता, उसके एजेंट या कर्मचारी प्रवेश करते हैं और बालू को स्थानांतरित करते हैं, जबकि वह किसी और के कब्जे में हो, तो भी यह चोरी नहीं कहलाएगा।

16. श्री खुराना द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि है कि भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। भा.दं.सं. की धारा 420 इस प्रकार है:

"धारा 420: छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना-जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

17. श्री खुराना प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता, उसके अभिकर्ता या कर्मचारियों के खिलाफ प्रलोभन की अभिव्यंजना की कोई चर्चा तक नहीं है। यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी को भी किसी भी संपत्ति

को किसी को देने के लिए प्रेरित किया, इसलिए वर्तमान मामले में धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनता।

18. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि यह स्वीकार नहीं किया गया है कि कोई अनियमितता या अपराध किया गया है, फिर भी याचिकाकर्ता को बिहार नियमावली के नियम 47 के अनुसार अनुज्ञप्ति रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। अवसर देने के बाद ही राज्य, यदि कोई आवश्यक हो, अभियोजन के साथ आगे बढ़ सकता था। बिहार नियमावली के नियम 47 में निम्नलिखित कहा गया है:

“47 खनिज समानुदान को निलंबित या रद्द करने की शक्ति (1)
समाहर्ता अपने जिले में किसी भी खनिज समानुदान को रद्द/निलंबित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, समाहर्ता सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी खनिज समानुदान की प्रतिभूति जमा/अर्जित धन जमा को निलंबित या रद्द कर सकते हैं और जब्त कर सकते हैं -

(क) यदि गलत दस्तावेज खनिज समानुदान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं; या

(ख) यदि खनिज समानुदान को उसके धारक द्वारा हस्तांतरित या उपखंडित किया जाता है; या

(ग) यदि उसके धारक द्वारा देय कोई खनन राजस्व विधिवत भुगतान नहीं किया गया है; या

(घ) ऐसे खनिज समानुदान के धारक द्वारा अपने सेवक या अभिकर्ता द्वारा, या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, अपनी स्पष्ट या निहित अनुमति से, ऐसी खनिज समानुदान के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में; या

(ड) यदि खनिज समानुदान धारक या उसका अभिकर्ता या कर्मचारी अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है, जो खनन मामलों से संबंधित या खनन राजस्व मामलों से संबंधित है या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध का दोषी पाया जाता है; या

(च) यदि वह उद्देश्य जिसके लिए खनिज समानुदान दी गई थी, अस्तित्व में नहीं है; या

(छ) यदि खनिज समानुदान गलत प्रतिनिधित्व या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है; या

(ज) यदि खनिज समानुदान धारक ने अपने नियमों में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(झ) यदि खनिज समानुदान धारक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है या उसमें उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है; या

(ञ) यदि खनिज समानुदान धारक विलेख निष्पादित करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर खनन कार्य शुरू करने में विफल रहता है।

(ट) यदि, किसी अन्य कारण से, समाहर्ता प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि खनिज समानुदान रद्द करने योग्य है।

(3) उप-नियम (1) के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए, खनिज समानुदान धारक किसी भी क्षतिपूर्ति या किसी भी तरह के धनवापसी के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के मामले में, ये नियम और खनिज समानुदान की कोई अन्य शर्त राज्य सरकार या समाहर्ता, खनिज समानुदान को रद्द करने के अलावा, उपयुक्त वितीय दंड भी लगा सकते हैं और/या आपराधिक मुकदमा शुरू कर सकते हैं।

(5) ऐसा कोई भी जुर्माना सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के तहत वसूला जा सकता है।

19. श्री खुराना ने आगे कहा कि भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों का आह्वान अपने आप में विधि सम्मत नहीं है। यह सुस्थापित कानून है कि यदि यह किसी विशेष अधिनियम के प्रावधान के तहत कथित रूप से आता है तो विशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ भा.दं.सं. की कई धाराओं को शामिल करना अवैध है क्योंकि भा.दं.सं. के तहत किए गए अपराध केवल विशेष कानून के तहत किए गए अपराधों के सहायक हैं। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ने **छोटेलाल चौधरी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के माध्यम से उपलब्ध माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो 2008 एससीसी ऑनलाइन कैल 348 में रिपोर्ट की गई थी और शरत बाबू दिगुमारती बनाम सरकार (एनसीटी ऑफ दिल्ली) के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जो (2007) 2 एससीसी 18 में रिपोर्ट की गई थी।

20. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट बिहार नियमों के तहत मामलों का संज्ञान नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ("एमएमडीआर अधिनियम") के तहत प्रतिबंध के अंतर्गत आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी उसी लेनदेन के लिए बिहार नियमों और भा.दं.सं. के प्रावधानों को लागू करती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भा.दं.सं. के तहत कोई भी अपराध नहीं बनता है। श्री खुराना ने बताया कि बिहार नियमों के तहत पुलिस वर्तमान मामले में आरोप पत्र का दायर नहीं कर सकती थी, केवल शिकायत दर्ज की जा सकती थी। यह आरोप लगाया गया है कि बिहार के नियमों को एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 15 पठित धारा 23 सी के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत

प्रतिबंध लागू होंगे। एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा संख्या 22 को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"धारा 22 अपराधों का संज्ञान -कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में खनन गतिविधि करता है, तो अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करेगा और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है। तथापि, पुलिस अधिकारी एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम संजय (2014) 9 एस. सी. सी. 772 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त कानून का प्रस्ताव वास्तव में इस माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा किए गए संदर्भ का उत्तर देते हुए इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 09.02.2024 के अपने आदेश में दोहराया गया है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

“21..... ... इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है और मामले की जांच पुलिस एजेंसी द्वारा की जाती है और उसके बाद पुलिस एजेंसी रिपोर्ट दर्ज करती है, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू होगा।”

23. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ के दिनांकित 09.02.2024 के आदेश को याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है और इस फैसले के पैराग्राफ से भी स्पष्ट है जैसा कि नीचे कहा गया है:

“21(1) जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और बालू, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से उन्हें हटाता या परिवहन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत इस तरह के कृत्य करने के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, ऐसे मामलों में, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए और साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। पुलिस प्राधिकरण के लिए इसकी जांच करना और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करना खुला है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

24. इसके अलावा, श्री खुराना द्वारा यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप नहीं है कि वह एक वैध अनुज्ञप्तिधारी नहीं है। इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने भी अपने निर्णय के पैरा 24 में यह दोहराया है कि यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एक वैध अनुज्ञप्तिधारी था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप चालान जारी किए बिना स्टॉक हटाने का नहीं है। इसलिए, इस निष्कर्ष को भी याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है। श्री खुराना इस बिंदु पर माननीय न्यायपीठ के दूसरे निष्कर्ष को इस प्रकार इंगित करते हैं:

"(ii) जहां प्राधिकरण द्वारा एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बालू, बजरी और अन्य खनिजों की खुदाई के लिए बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति के पक्ष में एक अनुज्ञप्ति, पट्टा या परमिट जारी किया गया है और उसके बाद यदि यह पाया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने बालू का उत्खनन उस क्षेत्र से किया है जो पट्टे, अनुज्ञप्ति या परमिट या खनन योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत प्राथमिकी, एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ, दर्ज की जा सकती है। इस तरह के मामले में भी, पुलिस प्राधिकरण को जांच करने और उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट को भी इसके आधार पर संज्ञान लेने का अधिकार है। इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत रोक नहीं लगेगी।

25. श्री खुराना ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह आरोप नहीं है कि वह ऐसे क्षेत्र से बालू के उत्खनन में संलग्न था जो अनुज्ञप्ति के अंतर्गत नहीं आता है। आरोप केवल स्टॉकलिस्ट स्थल पर बालू की कमी से संबंधित है और इसलिए, इस निष्कर्ष को भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है। इस

माननीय न्यायालय की खंडपीठ का दिनांक 09.02.2024 के आदेश में तीसरा निष्कर्ष इस प्रकार है:

"(iii) जहाँ यह आरोप है कि स्टॉककर्ता/अनुज्ञसिधारी द्वारा बालू के परिवहन के उद्देश्य से कंपनी के लिए बालू का भंडारण विभागीय पूर्व-भुगतान परिवहन चालान के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, यदि बिना पूर्व-भुगतान चालान के बालू/खनिज का परिवहन किया जाता है, तो उसे अवैध कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त गतिविधि के कारण, यदि राज्य को गैरकानूनी नुकसान होती है और यदि यह पाया जाता है कि दिए गए तथ्यों में अनुज्ञसिधारी द्वारा गैरकानूनी लाभ कमाया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तत्त्व भी आकर्षित होते हैं और, इसलिए, उपरोक्त प्रावधानों के तहत और एमएमडीआर अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। ऐसे मामले में भी, पुलिस के लिए जांच करना और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करना खुला है। इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत बाधा आकर्षित नहीं होगी।

26. विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि यह आरोप नहीं था कि बालू को परिवहन के उद्देश्य से संग्रहीत किया गया था और इसे पूर्व-भुगतान चालान के बिना परिवहन किया गया था। इस माननीय न्यायालय की खंड पीठ ने अनुच्छेद 24 में इस बात को दोहराया है कि यह कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एक वैध अनुज्ञसिधारी था और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह नहीं है कि उसने चालान जारी किए बिना स्टॉक हटा दिया था।

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांकित 09.02.2024 के आदेश द्वारा दिनांक

07.04.2022 के निर्णय की पुष्टि की है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 407/2021 को रद्द करने की कृपा की थी।

28. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 407/2021 को रद्द कर दिया। माननीय खंडपीठ ने भले ही यह माना हो कि माननीय एकल न्यायाधीश का दिनांक 07.04.2022 का निर्णय "**अनवधानता के कारण**" है क्योंकि इस माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णय, **आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1901/2017, जिसका शीर्षक "ब्रॉड सन कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य और अन्य"** था, पर अपना निर्णय देते समय विचार नहीं किया गया था, फिर भी मामले के तथ्यों में माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.04.2022 के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्राथमिकी 407/2021 को रद्द रखने का समर्थन किया। दिनांक 09.02.2024 के आदेश का पैरा 24 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

24. मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने ब्रॉड सन कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, मिथलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद, उस प्राथमिकी को रद्द कर दिया है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी। उक्त मामले में, यह देखा

गया कि यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एक वैध अनुज्ञसिधारी था और याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप चालान जारी किए बिना स्टॉक को हटाने का नहीं है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मामले के तथ्यों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित कर दिया है।

29. श्री माधव खुराना द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और न केवल किसी अपराध के तत्वों को, बल्कि कथित रूप से किए गए अपराध के मूल विवरणों को भी प्रकट करने में विफल रहते हैं। प्राथमिकी में यह खुलासा नहीं किया गया है कि अपराध कब किया गया था। यह केवल यह दर्ज करता है कि अनुज्ञसिधारी, जो वर्तमान याचिकाकर्ता है, के के-अनुज्ञसि संख्या 07/2021 वाले स्थल पर 16.09.2021 को किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान, बालू की मात्रा 18000 घन फुट दर्ज की गई थी। हालाँकि, पीएमयू द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, अनुज्ञसि प्राप्त स्थल पर भंडारित बालू की मात्रा 2265700 घन फुट है। अतः, अनुज्ञसिधारी के कर्मचारियों/संचालकों ने बिना पूर्व-भुगतान ई-चालान जारी किए अवैध रूप से 2247700 घन फुट बालू का प्रेषण किया है और चोरी का अपराध किया है। हालाँकि, अपराध कब और कैसे हुआ, इसका उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए यह अस्पष्ट है तथा रद्द किए जाने योग्य है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया, जो मोहम्मद वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य आपराधिक अपील संख्या 2340/2023 के माध्यम से उपलब्ध हैं, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 10656/2022 से उत्पन्न हुई हैं और इस माननीय न्यायालय

की कानूनी रिपोर्ट जो उदय सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य आपराधिक विविध संख्या 22626/2005 के माध्यम से उपलब्ध हैं।

30. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कि प्राथमिकी में यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि निरीक्षण के समय याचिकाकर्ता का के-अनुज्ञप्ति साइट पर कब्जा भी नहीं था। यह वास्तव में खान विभाग के अधिकारियों के कब्जे में था। इसके अलावा, प्राथमिकी में यह तथ्य भी उजागर नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपना अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण कर दिया था और 04.09.2021 को निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने अधिकारियों को के-अनुज्ञप्ति साइटों से बालू की बिक्री में तेजी लाने के लिए कहा था, इसलिए, यह पूर्वोक्त से स्पष्ट है कि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने निरीक्षण होने से पहले ही बालू बेचना शुरू कर दिया था। यह आरोप लगाया गया है कि यदि खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 16.09.2021 को निरीक्षण होने से पहले ही बालू बेचना शुरू कर दिया था, तो के-अनुज्ञप्ति साइट पर पाई गई बालू पीएमयू की रिपोर्ट में उल्लिखित मात्रा से कम होनी चाहिए।

31. अपने तर्क को समाप्त करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुराना ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया जैसा कि स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम देवेंद्र नाथ पाधी [(2005) 1 एस.सी.सी. 568]; मरियम फसीहुद्दीन और अन्य बनाम स्टेट बाय अडुगोडी पुलिस स्टेशन और अन्य [2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 58]; रणधीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. [(2021) 14 एस.सी.सी. 626]; महमूद अली और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य [(2023) 15 एस.सी.सी. 488] के माध्यम से उपलब्ध है।

खान विभाग (उत्तरदाता संख्या 6 से 9) की ओर से तर्क:

32. खान विभाग और उपरोक्त उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश दीक्षित ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए प्रासंगिक अनुलग्नकों के माध्यम से पेश किए गए दस्तावेज न तो प्राथमिकी का हिस्सा हैं और न ही आरोप पत्र का हिस्सा, क्योंकि मामले के दृष्टिकोण से, इन दस्तावेजों/अनुलग्नकों को दंड द० प्र० सं० की धारा 226 और 227 के तहत वर्तमान कार्यवाही में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इन दस्तावेजों को केवल सबूत के रूप में पेश किया गया है और विचारण के दौरान ही देखा जा सकता है। यह इंगित किया गया है कि रिट अदालत निचली अदालत के कर्तव्य को नहीं अपना सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा आपराधिक रिट याचिका संख्या 299/2022 के माध्यम से दिए गए संदर्भ के उत्तर के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी पोषणीय है। इसलिए, यह न्यायालय केवल इस बारे में विचार करता है कि क्या प्राथमिकी किसी भी *प्रथम दृष्टया* मामले को आरोप के अनुसार बनाती है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका संख्या 1919/2017 और 10/2018 में पहले ही यह कहकर खारिज कर दिया है कि प्राथमिकी को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा** के मामले में, **एआईआर 1991 एससी 1260** में रिपोर्ट की गई है, यह अवलोकन किया कि माननीय न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में कानून के तहत प्रदान की गई जांच और विचारण की प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मानता।

33. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के दृष्टिकोण से, रिट याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित हैं और इसलिए, उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तन विभाग (ईडी) की ओर से प्रस्तुत तर्क:

34. इस न्यायालय ने प्रवर्तन विभाग को वर्तमान मामले में सुनवाई के लिए एक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है ताकि विभाग के दिनांक 20.02.2025 के आदेश के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह से बचा जा सके।

35. इस पर।

36. प्रवर्तन विभाग की ओर से उपस्थित विशेष अधिवक्ता श्री जोहैब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि ये प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 420, 406, 379 के तहत दंडनीय अपराधों और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2003 के नियम 40 और बिहार लघु खनिज समानुदान नियम 1972 के नियम 3 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षिप्त में 'पीएमएलए अधिनियम') के तहत कथित अनुसूचित अपराध हैं।

37. सर्वप्रथम, श्री जोहैब हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी प्रस्तुतियाँ, जो याचिकाकर्ताओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं, याचिकाकर्ताओं को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि केवल एक प्राथमिकी दर्ज करने को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कार्य के रूप में लिया जा सकता है।

38. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कि **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** और **पेप्सी फूड लिमिटेड (उपरोक्त)** का निर्णयाधार वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं कहा जा सकता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2018 का सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 10 में, याचिकाकर्ता प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा

है। तथापि, प्राथमिकी में उल्लिखित आरोपों का अवलोकन करने से पता चलता है कि उनकी जांच की जानी चाहिए और इस स्तर पर, रिट अधिकार क्षेत्र में बैठा यह न्यायालय उन सामग्रियों का मूल्यांकन करने में न्यायसंगत नहीं होगा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने रिट आवेदनों के अनुलग्नकों के माध्यम से लाया है। इस मामले की जांच में ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप यह न्यायालय:-

“26. सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 10/2018 में,, याचिकाकर्ता प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा है, हालांकि, प्राथमिकी में उल्लिखित आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि वे जांच के लिए उत्तरदायी हैं और इस स्तर पर अपने रिट अधिकार क्षेत्र में बैठे इस न्यायालय को उन सामग्रियों का वजन करने में न्यायसंगत नहीं माना जाएगा जो याचिकाकर्ता द्वारा रिट आवेदनों और प्रत्युत्तर के अनुलग्नक के माध्यम से लाए गए हैं। मामले की जांच में ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

27. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय विवादित आदेशों और प्राथमिकियों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं पाता है, जो दोनों रिट आवेदनों में चुनौती का विषय हैं। इसलिए, इन रिट आवेदनों को अंतरिम आवेदन के साथ खारिज किया जाता है।”

39. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए, दिल्ली (एन. सी. टी.) बनाम संजय सिंह जिसे (2014) 9 एस.सी.सी. 772 में रिपोर्ट किया गया था, पर भरोसा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, द्वारा सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 1910/2017 और सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 10/2018 में दिनांक 05.10.2018 को

पारित निर्णय को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 10602 और 10596/2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

40. श्री हुसैन एन द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 540/2019 सिगौड़ी थाना कांड संख्या 2/2018 के संबंध में, सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 676/2019 भगवानगंज थाना कांड संख्या 2/2018 के संबंध में, सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 693/2019 धनारुआ थाना कांड संख्या 7/2018 के संबंध में और सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 718/2019 नौबतपुर थाना कांड संख्या 718/2019 के संबंध में, से निपटते हुए, जहाँ भा.दं.सं. की धारा 420, 406, 379 सहपठित 34 के साथ-साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'एमएमडीआर अधिनियम') की धारा 21, बिहार लघु खनिज समानुदान नियम, 1972 (संक्षेप में '1972 के नियम') के नियम 40, 21 और 22 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में '1968 का अधिनियम') की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, उन्हें माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एक माननीय समन्वय पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था।

41. इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामलों की सुनवाई करते समय, सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 1910/2017 में पारित पूर्व का दिनांक 05.10.2018 का निर्णय और दिनांक 05.10.2018 का एसएलपी (SLP) आदेश न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे, जैसा कि आदेश से प्रतीत होता है, जबकि अधिवक्ता समान थे।

42. श्री हुसैन द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 1233/2021, जो देहरी टाउन थाना कांड संख्या 407/2021 के संबंध में भा.दं.सं.

की धारा 379, 411, 420 और 409 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 39(2), 39(3) और 56(2) के तहत पंजीकृत था, माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और दिनांक 07.04.2022 के आदेश द्वारा, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मिथलेश कुमार सिंह के निर्णय अर्थात् दिनांक 26.08.2019 के आदेश पर भरोसा करते हुए उपरोक्त प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।

43. इस संदर्भ में, यह आगे बताया गया है कि सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 299/2022, जो बारूण थाना कांड संख्या 318/2021 के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 379, 411, 420 पठित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत था, इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने निम्नानुसार अवलोकन किया:-

“51. इस स्तर पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहकर प्रस्तुत किया गया निवेदन कि चूंकि ये याचिकाकर्ता अनुज्ञप्तिधारी हैं, इसलिए उनके मामलों में चोरी, चोरी की संपत्ति का हस्तांतरण, आपराधिक न्यास भंग या धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगेगा, अस्वीकार किए जाने योग्य है। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति होने के बहाने, ई.सी. (पर्यावरण मंजूरी) अनुमति प्राप्त क्षेत्र से परे बड़े और गहरे गड्ढे खोदकर नदी तल से बेईमानी से खनन करता है और इस प्रकार लघु खनिजों के उत्खनन, निष्कर्षण, हटाने और बेचने में संलग्न होता है, तो उसका कार्य, प्रथम दृष्टया, जांच के अधीन, चोरी और आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में आएगा.....

X

X

X

63..... "यह समझना कठिन है कि इस न्यायालय के पूर्व के निर्णय का हवाला क्यों नहीं दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता समान था और वही विद्वान वरीय अधिवक्ता जो उन्हें विद्वान समन्वय पीठ के समक्ष नेतृत्व कर रहे थे, इस न्यायालय के निर्णय से अवगत थे, जिसे वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जहाँ भी उन्होंने विद्वान वरीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था। उसी समय, राज्य के साथ-साथ खनन विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने भी पूर्व के निर्णय को माननीय समन्वय पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया..."।

44. अतः, मामला माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष आगे की खंडपीठ को संदर्भित करने के लिए भेजा गया था, जिसने माननीय उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठों के मतभेदों को निपटाया है।

45. तत्पश्चात, इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 09.02.2024 को की गई, जिसने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"25. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मिथलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय पर *इन्क्वैरियम* कहा जा सकता है।

46. तत्पश्चात, 07.10.2024 को, माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की अध्यक्षता वाली एक एकल न्यायाधीश पीठ ने मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम बनाम बिहार राज्य, सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 1597/2024 में, जो देहरी टाउन थाना कांड संख्या 115/2024 दिनांक 13.02.2024 के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 379 और

420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत किया गया था, और जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर पंजीकृत किया गया था, एक आदेश पारित किया और इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के दिनांक 09.02.2024 के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में लिए बिना प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

47. इस न्यायालय के नोटिस के अनुसार, जैसा कि ईडी द्वारा सूचना साझा की गई थी, विभाग को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था ताकि विभाग धन शोधन के मामले में शामिल मामले के संबंध में माननीय न्यायालय को अवगत करा सके।

48. श्री हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह अनुमेय सीमा से अधिक या बंदोबस्त/खनन के क्षेत्र से बाहर, बिना किसी खनिज समानुदान के, अवैध खनन का मामला है। यह इंगित किया जाता है कि अतिरिक्त खनन से बंदोबस्ती आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बंदोबस्त के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास रहता है। यह इंगित किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अवैध खनन के कारण राज्य को 210,91,76,276/- रुपये (दो सौ दस करोड़ इक्यानबे लाख छिहत्तर हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) का नुकसान पहुँचाया है।

49. श्री हुसैन ने आगे कहा कि भा.दं.सं. की धारा 411 के उद्देश्यों के लिए, आपराधिक न्यासभंग से प्राप्त संपत्ति को भा.दं.सं. की धारा 410 के तहत "चोरी की गई संपत्ति" की परिभाषा में शामिल है और इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 411 के दायरे में आती है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **मीर नागवी असकरी बनाम**

सीबीआई [(2009) 15 एससीसी 643] के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

49.1. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी प्रतिवेदनों पर भरोसा किया, जो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार [(2014) 2 एस. सी. सी. 1]; एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल [(2023) 6 एस. सी. सी. 1]; अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2013) 6 एस. सी. सी. 384]; मोनिका बेदी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2011) 1 एस. सी. सी. 248]; ईश्वरलाल गिरधारीलाल पारेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [एआईआर 1969 453-457 एस. सी. 40]; भारत संघ बनाम वेंकटेशन एस. [(2002) 5 एस. सी. सी. 285]; राजीव कौरव बनाम बाईसाहब [(2020) 3 एस. सी. सी. 317]; और स्वर्ण सिंह बनाम राज्य [(2008) 8 एस. सी. सी. 435] के माध्यम से उपलब्ध हैं।

50. अपने तर्क को समाप्त करते हुए, श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है और इसलिए, प्रस्तुत प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए कोई अवसर नहीं है क्योंकि यह पीएमएलए मामले में विभाग की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदन लाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 में रिपोर्ट किया गया, में तय किया गया है।

निष्कर्ष

51. यह इस मामले की बेहतर समझ के लिए प्रासंगिक अनुलग्नकों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

अनुलग्नक -4**समाहरणालय, औरंगाबाद**

(खनन शाखा)

पत्रांक510/ख 0.

प्रेषित,

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लि.,

12, वाटरलू स्ट्रीट, 2nd फ्लोर,

कोलकाता - 700069,

औरंगाबाद, दिनांक 29/4/2021

विषय:- औरंगाबाद जिलान्तर्गत दिनांक- 31.03.2021 को समाप्त हो रही सम्पूर्ण बालूघाटों की बंदोबस्ती को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक अवधि विस्तार के फलस्वरूप औपबंधिक कार्यादेश के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 987/एम 0, पटना, दिनांक- 31.03.2021 एवं विभागीय अधिसूचना सं0- 986/एम 0, पटना, दिनांक - 31.03.2021.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं विभागीय अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0- 935/एम 0 पटना, दिनांक 31.03.2021 द्वारा दिनांक- 31.03.2021 को समाप्त हो रही बालूघाट की बंदोबस्ती को खनिज (समानुदान, दाखिल खन्नन परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ अवधि विस्तार के फलस्वरूप आपके द्वारा प्रथम क्रिस्त की निर्धारित राशि मो0 - 19,15,70,160/- (उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख उत्तर हजार एक सौ साठ) रु0 के विरुद्ध निर्धारित तिथि तक कुल :- 10,00,00,000/- (दस करोड़) रु0 जमा करते हुए शेष बकाया राशि 10 दिनों के अंदर जमा करने का अनुरोध किया गया है। आपके उक्त अनुरोध के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों पर बालू उत्तोलन हेतु औपबंधिक कार्यादेश निर्गत किया जाता है :-

1. देय बंदोबस्ती राशि का भुगतान:-

क्र 0 सं0	क्रिस्त	क्रिस्त की राशि	भुगतान की तिथि
1	प्रथम क्रिस्त	19,15,70,160/-	दिनांक - 31.03.2021
2	द्वितीय क्रिस्त	38,31,40,320/-	दिनांक- 30.04.2021
3	तृतीय क्रिस्त	38,31,40,320/-	दिनांक - 31.05.2021
4	चतुर्थ क्रिस्त	19,15,70,160/-	दिनांक- 30.06.2021

2. जी.एस.टी. के रूप में राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। खन्न कार्यालय में जी.एस.टी. भुगतान का प्रमाण-पत्र प्रत्येक क्रिस्त के साथ देना होगा। साथ ही वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2403, दिनांक 16.08.2019 के अनुपालन में आपूर्ति की गई करदेय मद में अधिमाम्य कर का भुगतान क्रिस्त की राशि के साथ करना होगा।

3. आयकर की मद 2.06 प्रतिशत की राशि का भुगतान प्रत्येक क्रिस्त के साथ करना होगा।

4. डी.एम.एफ. की राशि बन्दोबस्ती राशि का 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउन्डेशन के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक क्रिस्त के साथ जमा करना होगा।

5. देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का भुगतान कर एवं ससमय एकरारनामा दाखिल कर निबंधन कराना होगा।

6. बालू खनन की अधिकतम गहराई एवं क्षेत्र :- नदी तल से खन्नन की अधिकतम गहराई उचित बेच रचना के साथ किसी समय उक्त बिन्दु पर अखनित तल स्तर से तीन मीटर अथवा निम्नतम जल स्तर में जो कम हो, से अधिक नहीं होगी।

7. बालू का खनन SEIAA/DEIAA द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय स्वच्छता में निर्धारित क्षेत्र से ही करना होगा एवं तदनुसार उत्खनन के क्षेत्र का सीमांकन कराना होगा तथा उत्खनन के दौरान कायत रखना होगा।

8. बालू उत्खनन के प्रतिबंधित क्षेत्र:-

- i. किसी रेलवे पुल एवं राज्य / राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्तर्गत पुल से 300 मीटर तथा सामान्य पुल से 100 मीटर दोनों तरफ के क्षेत्र।
- ii. किसी भी सार्वजनिक स्थल तथा शमशान घाट/ धार्मिक स्थल आदि से 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
- iii. नदी के दोनों किनारे से 05 मी० का क्षेत्र छोड़कर ही बालू का खनन कार्य किया जाएगा।
- iv. डैम/वीयर/सिंचाई हेतु निर्मित अन्य स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम की ओर 100 मीटर का क्षेत्र।
- v. बाढ़ नियंत्रण तटबंधों से 46 मीटर दूरी तक का क्षेत्र। इसके बाद 46 मी० से 61 मी० तक का क्षेत्र 180 मीटर गहराई तक तथा 61 मीटर से 91 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में 240 मीटर तक की गहराई तक खनन अनुमान्य होगा।
- vi. सिंचाई हेतु निर्मित आउटडोर के स्तर को रिवर बेड के स्तर के बराबर रखना होगा यानि रिवर बेड का स्तर आउटलेट के स्तर से नीचे कदापि नहीं होगा।
- vii. इनफिल्ट्रेशन बेल/इनटेक बेल के चारों ओर बालू उत्खनन नहीं किया जाएगा। जिन नदियों से सिंचाई हेतु पईन निःसृत है उस क्षेत्र में सीनीय जल संसाधन विभाग के अभियंता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बालू का उत्खनन किया जाएगा ताकि पईन सिंचाई प्रणाली प्रभावित नहीं हो।

9. सामान्य शर्तें :-

- i. आपको बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग के द्वारा मुद्रित/सत्यापित ट्रांजिट पास/ई-चालान निर्गत करना होगा, जिसमें वसूली गई राशि भी अंकित होगी।
- ii. नदी में बालू निकाल कर नदी तट से 300 मीटर अलग बालू भण्डारण करने पर अलग से स्टॉकहिस्ट लाईसेंस लेना होगा।

- iii. नदी से उत्तोलित बालू के लिए विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह ही मासिक विवरणी अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक जिला खन्न कार्यालय, औरंगाबाद में दाखिल करना होगा।
- iv. बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिए पंजी संघारित करनी होगी।
- v. नदी से बालू निष्कासन / प्रेषण के स्थल पर साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें बन्दोबस्तधारी कानाम-पता, बन्दोबस्ती अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम-पता एवं विक्रय मूल अंकित होगा।
- vi. आपको बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खन्नन्, परिवहन एवं भण्डारण निवारण)नियमावली, 2019 के नियमों का पालन करना होगा।
- vii. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आपको श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम शेड, पेय जल आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- viii. आपको समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में जनहित में दिए गए अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।
- ix. खनिज की अनुपलब्धता,मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- x. बालूघाट संचालन के नियम एवं शर्त यथा-खन्नन् योजना, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- xi. विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लदे बालू खनिज को तिरपोलिन से ढँक कर ही प्रेषण करना होगा।
- xii. वाहनों के लदान क्षमता के अनुसार ही वाहनों पर बालू खनिज लोड कराने तथा तदनुसार परिवहन चालान में बालू की मात्रा अंकित कराना सुनिश्चित कराना होगा।
- xiii. बालूघाटों से गीला बालू को बालूघाट क्षेत्र में सेकेण्डरी लोडिंग हेतु भण्डारित करने की व्यवस्था करना होगा तथा किसी भी परिस्थिति में गीला बालू का प्रेषण किसी प्रकार के वाहनों से नहीं करना होगा।
- xiv. बन्दोबस्ती राशि के समतुल्य बालू की मात्रा से अधिक बालू निष्कासन किए जाने पर अधिक निष्कासित बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामित्व का भुगतान आपको करना होगा।

- xv. आपको सरकारी कार्य हेतु विभागों को प्राथमिकता के आधार पर लघु खनिज बालू उपलब्ध कराना होगा।
- xvi. आपको बालू उत्तोलन कार्य में संलग्न सहयोगी, व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची पूर्ण पता एवं फोटो के साथ खन्न कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- xvii. उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बन्दोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- xviii. समाहर्ता को सरकार के हित में सुनवाई का मौका देकर तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार होगा।
- xix. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं बालूघाट संचालन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
- xx. ईको सेंसेटिव जोन/वाइल्ड लाईफ सेंक्यूरी से प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का खन्न कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
- xxi. बन्दोबस्ती समाप्ति के पूर्व नदी तट से 300 मीटर के अन्दर भण्डारित बालू को हटा लेना होगा अन्यथा भण्डारित खनिज (बालू) सरकार की सम्पत्ति मान कर उसका निष्पादन किया जाएगा।

आपके आवेदन दिनांक - 31.03.2021 में।

10. समाहर्ता, औरंगाबाद एवं खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करना होगा। अनुपालन प्रतिवेदन से प्रतिकूल स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

xxii.

ह/-

ह/-

ह/-

खनिज विकास पदाधिकारी,

अपर समाहर्ता,

जिला पदाधिकारी

ज्ञापांक510...../ख 0 , औरंगाबाद, दिनांक 31/03/2021

प्रतिलिपि-

1. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। पिछले वर्ष के दौरान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में -24 प्रतिशत की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गयी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वित्त वर्ष 2021-2022 में मामूली सुधार के आंकड़े सामने आ सकते हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की वजह से अब स्वास्थ्य सुधार के रूढ़िवादी अनुमान भी बाधित हो गए हैं।

महामारी के पुनरुत्थान के कारण, निर्माण सहित सभी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। पिछले वर्ष के दौरान निर्माण सामग्री (बालू और पत्थर) की मांग धीमी थी और हमें अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ा। जहां-जहां मांग बढ़ रही थी, वहां-जहां तालाबंदी और/या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, वहां-वहां बालू की मांग और कम होकर लगभग शून्य हो गई है।

जहां आपने हाल ही में 31.10.2021 तक बंदोबस्त के हालिया विस्तार को स्वीकार किया था, हमने कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के विस्तार का अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि, अब हम महामारी के प्रभावों का सामना करने में असमर्थ हैं।

दूसरा, राज्य सरकार ने ज्ञापन संख्या 8563 दिनांक 16.12.2020 में निहित संकल्प जारी किया था, जिसके तहत 14 या उससे अधिक पहियों वाले ट्रकों का उपयोग बालू और पत्थर की गिट्टी के परिवहन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रतिबंध के कारण, हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के महीनों के दौरान भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बालू का एक बड़ा प्रतिशत ऐसे ट्रकों का उपयोग करके ही ले जाया जाता है। इसके बाद दिनांक 31.03.2020 के संकल्प संख्या 2414 के तहत चौसा, बक्सर में एस. जे. वी. एन. थर्मल प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना में 14 पहियों वाले बालू से चलने वाले ट्रकों के परिवहन में छूट दी गई। लेकिन यह परियोजना भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण भी सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी की भारी राशि को देखते हुए यह व्यवसाय हमारे लिए अव्यवहारिक हो गया है।

तीसरा, औरंगाबाद जिले का पूरा क्षेत्र अवैध खनन की समस्या का सामना कर रहा है। चूंकि अवैध रूप से उत्खनित बालू हमारे द्वारा बेची जा रही

बालू की तुलना में सस्ती है, हम अपनी रॉयल्टी संबंधी बाध्यता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू बेचने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त कारकों के कारण, बालू की खुदाई और उसे बेचने का पूरा व्यवसाय हमारे लिए पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। हम रॉयल्टी से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित भुगतान नहीं कर सकते हैं और चूककर्ता बन सकते हैं।

उपर्युक्त कारकों पर विचार करते हुए, हम तत्काल प्रभाव से औरंगाबाद जिले में अपने बालू घाटों के बंदोबस्त का समर्पण कर रहे हैं।

आपके सहयोग की कामना करते हैं।

धन्यवाद सहित,

प्रतिलिपि:

खनिज विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद

भवदीय,

मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लिमिटेड
आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लिमिटेड के लिए
पंकज सिंह अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता "

अनुलग्नक -'7'

समाहरणालय, औरंगाबाद

(खनन शाखा)

पत्रांक627/ख 0.

प्रेषित,

मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लि.

द्वारा- शशि कुमार सिंह,

वंदना होटल के समीप

पाली रोड, डेहरी-ऑन-सोन,

रोहतास, सासाराम।

ई-मेल

औरंगाबाद, दिनांक 29/4/2021

विषय :- औरंगाबाद जिलान्तर्गत सम्पूर्ण बालूघाटों की बन्दोबस्ती का प्रत्यार्पण करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक - शून्य, दिनांक 20.04.2021

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में आपके द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्राप्त बालू घाटों की बन्दोबस्ती को तत्काल प्रभाव से छोड़ने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में कहना है कि वर्तमान में आपके द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत सम्पूर्ण बालूघाटों से बालू के उत्खनन एवं प्रेषण का कार्य किया जा रहा है। आपको विदित हो कि बिहार खनिज (सामानुदान, दाखिल खनन परवाना एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 50 (1), जो निम्नवत है:-

'कोई खनिज सामानुदान धारक यथास्थिति, खनन पट्टा अवधि के किसी भी समय समाप्ति को छः महीने का नोटिस देते हुए कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा। फिर भी, यह विकल्प वैसे खनिज सामानुदान धारक के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी बोली की रकम या बन्दोबस्ती की रकम का भुगतान नहीं किया है अथवा खनन पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

के आलोक में बन्दोबस्ती प्रत्यार्पण (Surrender) करने की प्रक्रिया में उपरोक्त नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः बिहार खनिज (समानुदान, दाखिल खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 50 (1) के तहत आपके आवेदन दिनांक 20.04.2021 के पूर्व देय है, को सापेक्षिक आयकर एवं डी.एम.एफ की राशि के साथ स-समय जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध बिहार खनिज (समानुदान, दाखिल खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 47 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

ह० /-

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद।

अनुलग्नक-'8'

समाहरणालय, औरंगाबाद

(खनन शाखा)

पत्रांक635/ख 0.

प्रेषित,

जिला पदाधिकारी,

औरंगाबाद ।

सेवा में,

निदेशक,

खान एवं भूतत्व विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय- औरंगाबाद जिलान्तर्गत बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बालू बन्दोबस्तधारी मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० द्वारा दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की बालू बन्दोबस्ती की विस्तारित अवधि हेतु द्वितीय किस्त की निर्धारित राशि जमा नहीं किया गया है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बालू बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती प्रत्यार्पण (Surrender) हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित वस्तुस्थिति से विभाग को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है । बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती राशि नहीं जमा किया जा सकता है । इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि बन्दोबस्तधारी द्वारा वर्तमान में जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है, जिसका पुनः भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक है तथा भौतिक सत्यापन कराये जाने तक सभी भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर रोक लगाना अपेक्षित है । अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि बालू भण्डारण अनुज्ञप्तियों की भौतिक सत्यापन कराये जाने तक मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० द्वारा संचालित सभी भण्डारण अनुज्ञप्तियों के User ID पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाय ।

ह०/-

01.05.2021

विश्वासभाजन

ह०/-

खनिज विकास पदाधिकारी
औरंगाबाद

01.05.2021
जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

ज्ञापांक-635/ख 0 औरंगाबाद, दिनांक 01.05.2021

प्रतिलिपि:- मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति सीलों के भौतिक सत्यापन होने तक बालू का उठाव/प्रेषण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिलिपित - अनुमण्डल पदाधिकारी औरंगाबाद/ दाउदनगर एवं खनिज विकास पदाधिकारी औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि बन्दोबस्तधारी मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० द्वारा सत्यापित सभी बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति सीलों भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

01.05.2021

खनिज विकास पदाधिकारी
औरंगाबाद

विश्वासभाजन

ह 0/-

01.05.2021

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

अनुलग्नक-'9'

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद)

पत्रांक133/गो0

प्रेषित,

अनुमंडल पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद।

दाउदनगर, दिनांक 11.05.2021

विषय:- दाउदनगर अनुमंडल अन्तर्गत बालू भंडारण अनुज्ञसिधारियों के भंडार का भौतिक सत्यापन संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण ।

प्रसंग - भवदीय ज्ञापांक - 635/ख, दिनांक 01.05.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दूरभाष के माध्यम से यह बताया गया है कि वे कोरोना पोजिटिव हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अकेले ही आज दिनांक 11.05.2021 को दाउदनगर एवं केरा घाटों पर अवस्थित बालू भंडारण का भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गये भंडार से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है-

क्र०	अनुज्ञसिधारी कोड	अनुज्ञसिधारी का नाम	अनुज्ञसिधारी का पता	अनुज्ञसिधारी संख्या	अवशेष स्टॉक (मे० टन में)
1	0302830328	मे० आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि०	केरा	के-औरंगाबाद/ 3/2021	33,100 (लगभग)
2	0302830324	मे० आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि०	दाउदनगर	के-औरंगाबाद/ 5/2021	15,300 (लगभग)
3	0302830327	मे० आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि०	नियर , दाउदनगर	के-औरंगाबाद/ 4/2021	105750 (लगभग)

कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन

ह०/-

अनुमंडल पदाधिकारी,
दाउदनगर।

ज्ञापांक-133/गो०, दिनांक 11.05.2021

प्रतिलिपि - खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

अनुमंडल पदाधिकारी,
दाऊदनगर।

अनुलग्नक-'12'

समाहरणालय, औरंगाबाद

(खनन शाखा)

पत्रांक635 /ख 0(अस्पष्ट)

प्रेषित,

मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा. लि.

स्थायी पता - 12, वाटर लू स्ट्रीट,

2 रा तल, कोलकाता (प 0 बंगाल)

वर्तमान पता - द्वारा शशि कुमार सिंह,

नियर वंदना होटल, शिवगंज-पाली रोड,

डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास, सासाराम ।

औरंगाबाद, दिनांक - 9 - 2021

विषय:- पंचांग वर्ष, 2021 के लिए बन्दोबस्ती की अवधि विस्तार के पश्चात् शेष बकाया राशि जमा करने के संबंध में माँग-पत्र ।

उपर्युक्त विषयक औरंगाबाद जिलान्तर्गत आपको पूर्व से बन्दोबस्त जिले के सम्पूर्ण बालूघाटों की बन्दोबस्ती का वर्ष, 2021 में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार अवधि विस्तार (दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक) के पश्चात् कार्यालय द्वारा आपके पक्ष में शर्तों एवं बंधेज के साथ कार्यादेश निर्गत किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि के लिए आपके द्वारा चार किस्तों में कुल बन्दोबस्ती राशि मो0- 1149420960/- (एक अरब चौदह करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार नौ सौ साठ) रू0 का भुगतान करते हुए दिनांक 01.05.2021 से प्रभाव से बन्दोबस्ती के प्रत्यार्पण संबंधी

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया गया । उल्लेखनीय है कि बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका- 16 प्रक तहत बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती छोड़ने से पूर्व सम्पूर्ण बन्दोबस्ती राशि जमा करने का प्रावधान है, अर्थात् आपके द्वारा मो0- 957850800/- (पचानवे करोड़ अठत्तर लाख पचास हजार आठ सौ) रुभुगतान सापेक्षिक डी0 एम0 एफ0 एवं आयकर की राशि के साथ किया जाना है, जो कि आपके द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ।

अतः उक्त के आलोक में आपके आदेश दिया जाता है कि निर्धारित समयावधी के अन्दर शेष बकाया राशि मो0 - 957850800/- (पचानवे करोड़ अठत्तर लाख पचास हजार आठ सौ) रु भुगतान सापेक्षिक डी० एम० एफ० एवं आयकर की राशि के साथ करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में राजस्व वसूली की दिशा में आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नीलाम-पत्र वाद दायर किया जाएगा, जो आपको मान्य होगा ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

ह/-	ह/-	ह/-
खनिज विकास पदाधिकारी	अपर समाहर्ता	जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद

ज्ञापांक885/.../ख(अस्पष्ट) औरंगाबाद, दिनांक 2021(अस्पष्ट)
प्रतिलिपि - निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह/-	ह/-	ह/-
खनिज विकास पदाधिकारी	अपर समाहर्ता	जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद

अनुलग्नक-'13'

दैनिक भास्कर

पटना 10-07-2021

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

आवश्यक सूचना

आम जन/ट्रांसपोर्टरों/कार्य संवेदकों को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में बालू के प्रपत्र 'के' भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों के पास प्रचुर मात्रा में बालू उपलब्ध है। अनुरोध है कि सुविधानुसार अपने जिला/निकटवर्ती जिला के भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों से सम्पर्क कर बालू प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के कठिनाई होने पर संबंधित जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। विवरणी निम्नवत् है:-

जिला	प्रपत्र 'के' भण्डारण अनुज्ञप्ति की संख्या	कुल भंडारित बालू की मात्रा (cft)	सम्पर्क पदाधिकारी का नाम/मोबाइल सं०
अरवल	12	408473.25	श्री प्रमोद कुमार / 8051999728
औरंगाबाद	15	29286925	श्री पंकज कुमार / 7294805905
बाँका	24	33236831	श्री अखलाक हुसैन / 9973788610
बेगुसराय	04	217800	श्री उपेन्द्र पासवान / 9431551802
भागलपुर	06	40650	श्री अखलाक हुसैन / 9973788610
भोजपुर	19	4522475	श्री आनंद प्रकाश / 7549125357
जमुई	08	90750	श्री निधि भारती / 9852903038
जहानाबाद	07	325025	श्री अरुण कुमार चौधरी 9199518063 /
मुंगेर	01	500	श्री गोपाल साह / 9431678029
नालन्दा	05	1098076	श्री मुकेश कुमार / 9955328191
नवादा	13	4381150	श्री मुकेश कुमार / 9955328191
पटना	64	8698550	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा / 9431289921
रोहतास	17	57584000	श्री संजय कुमार 7903845475
सारण	25	18625325	श्री शिवचन्द्र प्रसाद / 8789089502
शेखपुरा	01	2000	श्री उमेश चौधरी / 7366040300

वैशाली	04	1366950	श्री जय प्रकाश सिंह / 8789724518
--------	----	---------	----------------------------------

2-उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत 07 जिलों (यथा- नवादा, बाँका, अरवल, किशनगंज, मधेपुरा, वैशाली, बक्सर) के वैध बालूघाट बंदोबस्तधारियों द्वारा नदी तल से 300 मीटर की दूरी के अन्दर सेकेन्डरी लोडिंग पॉइंट पर भी बालू का पर्याप्त भण्डारण किया गया है, जहाँ से आमजन आवश्यकतानुसार बालू प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अथवा अन्य सूचना देने के लिए विभागीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या- 0612 - 2215350, 2215351 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पी आर. 003426(खनन) 2021-22

(गोपाल मीणा)

निदेशक, खान

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 299 में

प्राथमिकी

जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद।

पत्रांक1316 / एम० ओ दिनांक 19.09.2021

प्रेषक,

थानाध्यक्ष,

बारुण थाना, औरंगाबाद।

विषय- प्राथमिकता दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके थानान्तर्गत मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० को निर्गत 'के' अनुज्ञप्ति सं० - 07/2021 का पता क्रमशः मौजा- खेमदा, प्रखण्ड- बारुण, थाना- बारुण, जिला - औरंगाबाद, खाता सं०- 69 खेसरा सं० - 01 के सीटों पर उपलब्ध बालू की मात्रा का भौतिक सत्यापन दिनांक 16.09.2021 को किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त वर्णित 'K' अनुज्ञप्ति स्थल पर बालू की मात्रा 18000 घनफीट अंकित है। जबकि पी० एम० यू० द्वारा

उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार भण्डारित अनुज्ञप्ति स्थलों पर मात्रा 2265700 घनफीट बालू का भण्डारण है। उक्त से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मियों / संचालकों द्वारा बिना प्रोपर ई-चालान निर्गत कर चोरी से 2247700 घनफीट बालू का अवैध प्रेक्षण किया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा भौतिक सत्यापन के समय प्रपत्र - 'ज' में संधारित पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त कृत्य कार्य अनुज्ञप्ति के कंडिका 1, 12, 13 एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा बिहार खनिज (समानुदान, दाखिला खनन परिहारण एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 का उल्लंघन एवं उक्त नियम 56 के तहत दण्डनीय है। उक्त 'के' अनुज्ञप्ति संख्या से 11,72,50,032/- रुपये की क्षति राज्य सरकार को हुई है, जो वसूलनीय है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित नियम तथा भा.दं.सं के नियम की धारा 379, 411, 420 एवं भा.दं.सं. के अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

पंजीकृत बारुण पी.एस. मामला संख्या	विश्वासभाजन
318/021 दिनांक 19/09/2021 यू/एस	ह 0/-19.09.2021
379/411/420 आईपीसी और बिहार	आजाद आलम खान
खनिज (रियायत, अवैध खनन' परिवहन,	निरीक्षक, औरंगाबाद
भंडारण की रोकथाम) नियम 2019,	पिता-म 0 शरीफ
धारा 42/39/56 और एस.आई. दीनानाथ	ग्राम निरजलहों
सिंह मामले की जांच करेंगे	थाना-गोपालपुर
हस्तान्तरण/अस्पष्ट	जिला-गोपालगंज ।
19.9.21	
थाना प्रभारी, बारुण थाना	
औरंगाबाद।	

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 05 में
प्राथमिकी

जिला खनन कार्यालय, रोहतास (सासाराम)।

पत्रांक2147/एम० सा०सा०गम दिनांक 03.08.2021

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
इन्द्रपुरी ओ. पी. थाना,
रोहतास।

विषय- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके थानान्तर्गत मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा० लि० की अनुज्ञप्ति सं० - K-ROHTAS/02/2021 का पता मौजा- सिकरीया, मौजा सं०- 00, प्रखण्ड- डिहरी, थाना- इन्द्रपुरी ओ० पी० जिला - रोहतास, खाता सं० - 13, 15, खेसरा सं०- 264, 167, के रोहतास/03/2021 का पता मौजा- सिकरीया, मौजा सं०- 00, प्रखण्ड- डिहरी, थाना- इन्द्रपुरी ओ० पी० जिला - रोहतास, खाता सं० - 17 खेसरा सं०-225, 231, 245, 246, 272, 273, 274, 280, 281, 282, K-ROHTAS/15/2021 का पता मौजा- सिकरीया, मौजा सं०- 00, प्रखण्ड- डिहरी, थाना- इन्द्रपुरी ओ० पी० जिला - रोहतास, एवं K-ROHTAS/14/2019 का पता मौजा- कटार, मौजा सं०- 00, प्रखण्ड- डिहरी, थाना- इन्द्रपुरी ओ० पी० जिला - रोहतास, खाता सं० - 79 खेसरा सं०- 1093, 1123, के स्थलों पर उपलब्ध बालू की मात्रा का भौतिक सत्यापन जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 1986/खनन, दिनांक 15.7.2021 के आलोक में किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त चारों अनुज्ञप्ति स्थलों पर बालू की मात्रा 1627000 घनफीट पाया गया। जबकि पी० एम० यू० द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार उक्त चारों भण्डारित अनुज्ञप्ति स्थलों पर 12377875 घनफीट बालू का भण्डारण है। उक्त से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मियों / संचालकों द्वारा बिना प्रोपर ई-चालान निर्गत कर चोरी से बालू का विक्रय कर दिया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रपत्र - 'ज' में संधारित पंजी का भौतिक सत्यापन के कम में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सभी भण्डारित बालू स्थलों का Fencing एवं भण्डारित बालू का तारपोलिन से ढका हुआ नहीं पाया गया।

उक्त कृत्य कार्य अनुज्ञप्ति के कंडिका 1, 12, 13 एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा बिहार खनिज (समानुदान, दाखिल खनन परिहारण एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 11, 39 का उल्लंघन एवं उक्त नियम 56

के तहत दण्डनीय है। उक्त चारों अनुज्ञप्ति संख्या से 36,55,29,750/- रुपये की क्षति राज्य सरकार को हुई है, जो वसूलनीय है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मियों/ संचालकों के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित नियम तथा IPC के नियम की धारा 379, 411, 420 एवं भा.दं.सं. के अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

शशिकांत पाठक ह०/- गवाह 1. शशिकांत पाठक पिता- श्री कमलेश पाठक ग्राम मोहनपुर थाना- दिनारा। 2. धीरेन्द्र कुमार सिंह ह०/- पिता-भरत सिंह ग्राम- चौउर, थाना करगहर, जिला रोहतास	स्थायी पता:- पिता-श्री श्याम नंदन प्रसाद यादव ग्राम मटियापुर, पो० - जमसीन, थाना-शाहपुर जिला-पटना।	विश्वासभाजन ह०/- अस्पष्ट 03.08.2021 (अजय कुमार) खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, रोहतास, सासाराम।
---	---	---

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन, भंडारण प्रमाण पत्र) नियम 2019 की धारा 379/409 आईपीसी और 39(2)/39(3)/56(2) के तहत मामला दर्ज करने के लिए एसएचओ डेहरी (टी) पीएस को भेजा गया। कृपया इस मामले की जांच एसआई संजय कुमार ठाकुर करेंगे।

एसडी/अपठनीय

03.08.2021

एसएचओ,

इंद्रपुरी ओ.पी.

पंजीकृत एसएचओ डेहरी (टी) पीएस मामला संख्या 406/21 दिनांक 03.08.2021, धारा 379/409 आईपीसी एवं बिहार खनिज (रियायत, अवैध

खनन, परिवहन, भंडारण प्रमाण) नियम 2019 की धारा 39(2)/39(3)/56(2) के अंतर्गत। कृपया इस मामले की जांच एसआई संजय कुमार ठाकुर करेंगे।

एसडी/अपठनीय

03.08.2021

थाना प्रभारी,

डेहरी (टी) पी.एस.

52. यह भी उचित होगा कि इस न्यायालय की एक विद्वान समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध संख्या 8423/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 को भी यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जाए, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता, अर्थात् सदाशिव प्रसाद सिंह, जो मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, को अग्रिम जमानत प्रदान की थी, जो त्वरित संदर्भ हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत है:

“श्री पी.एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री सूरज समदर्शी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, तथा श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक, खान विभाग, बिहार सरकार, को सुना।

इस न्यायालय के निर्देश दिनांक 17.05.2023 के अनुपालन में, जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद उपस्थित हैं। तथापि, पद पर नए होने के कारण वे अधिक सहायता प्रदान करने में असमर्थ रहे, अतः इस न्यायालय ने खान निदेशक को उपस्थित होने के लिए बुलाया। इस प्रकार, श्री मोहम्मद नैयर इकबाल, खान विभाग के निदेशक, उपस्थित हुए और मामले को समझाया।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह

दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021 के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार लघु खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 (जिसे इसके बाद "वर्ष 2019 के नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 11, 39 और 56 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। उन्होंने पैराग्राफ '3' में मामलों की सूची दी है, जो सभी समान प्रकृति के हैं और जिनसे यह प्रतीत होता है कि हाल के समय में, कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ लगभग 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें आरोप समान प्रकृति के हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद का आरोप है कि के-लाइसेंस संख्या 05, 04/2021 और 19/2020 के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान, कुल 2,05,350 घनफुट स्टॉक पाया गया, जबकि परियोजना निगरानी इकाई (संक्षेप में "पीएमयू") ने एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई कि स्टॉक बिंदु पर बालू की कुल मात्रा 7,08,830 सीएफटी थी। उनका आरोप है कि अनुज्ञप्ति धारक और उसके कर्मचारियों/ऑपरेटरों ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए 5,03,480 घनफुट बालू का परिवहन किया है। यह आरोप है कि अनुज्ञप्ति धारक ने अनुज्ञप्ति के खंड (1), (12), (13), और (15) के प्रावधानों तथा वर्ष 2019 के नियमों के नियम 11 और 39 का पालन नहीं किया है, जो नियमों के नियम 56 के तहत दंडनीय है। मुखबिर का आरोप है कि अनुज्ञप्ति धारक कंपनी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 और अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कंपनी बालू घाट की बंदोबस्ती है। अंत में, बंदोबस्त को 01.04.2021 से 30.09.2021

की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने बंदोबस्त राशि की पहली किस्त का भुगतान किया, लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों से, कंपनी ने अनुबंध के नियमों के अनुसार बंदोबस्त को समर्पित करने का निर्णय लिया। कंपनी ने 01.05.2021 से बंदोबस्त को समर्पित कर दिया।

यह कहा गया है कि कंपनी द्वारा पट्टा समर्पित किए जाने के बाद, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद ने निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार को याचिकाकर्ता के स्टॉक अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और जिले के विभिन्न स्टॉक बिंदुओं पर स्टॉक का सत्यापन करने के लिए लिखा। इस संबंध में, ज्ञापन संख्या 635 दिनांकित (अनुलग्नक '4') युक्त पत्र औरंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त आदेश के आलोक में, दाउदनगर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने एक निरीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट के अनुसार के-पॉइंट 4/2021 और 5/2021 पर क्रमशः लगभग 1,05,750 और 15,300 मीट्रिक टन बालू पाई गई।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि इसे घनफुट में परिवर्तित किया जाए तो यह 30,26,000/- घनफुट आएगा। तर्क यह है कि निरीक्षण की तिथि यानी 11.05.2021 को उन स्थानों पर 30,26,000/- घनफुट बालू मौजूद थी।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि बंदोबस्ती कंपनी द्वारा स्टॉक समर्पित किए जाने के बाद, उसी का कब्जा ले लिया गया और विभाग द्वारा अपने स्वयं के प्लेटफार्मों के माध्यम से स्टॉक की बिक्री की व्यवस्था की गई। इस संबंध में, विभाग द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना में दिनांक 10 जुलाई, 2021 के आवेदन के अनुलग्नक '9' को शामिल किया गया है।

आज कुछ कागजात पेश किए गए हैं जिनसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह स्वयं खान विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्र है जो विभिन्न थाना प्रभारियों को संबोधित है, जैसा कि ज्ञापन संख्या 1555 दिनांक 25.11.2021 में निहित है, जिसमें जिला पदाधिकारी के दिनांक 11.07.2021 और 17.08.2021 के पत्रों का उल्लेख है। इस पत्र द्वारा, खान विकास पदाधिकारी ने थाना प्रभारियों को याद दिलाया है कि उन्हें पूर्व के बंदोबस्ती के स्टॉक बिंदुओं पर पड़े स्टॉक की सुरक्षा का ध्यान रखना था। एक अनुस्मारक के रूप में, थाना प्रभारियों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था ताकि सरकारी खजाने को कोई नुकसान न हो।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ई-चालान की एक प्रति भी प्रस्तुत की है जो खनन स्थल पर उत्पन्न होती है। इसमें घाट का ई-कैप होता है। इस मामले के बंदोबस्ती द्वारा जारी किया गया ई-चालान अनुलग्नक '13' के रूप में संलग्न किया गया है, यह दिखाने के लिए कि ये ई-चालान बालू के वजन, सीएफटी में मात्रा और जिस मूल्य पर इसे बेचा जाता है, उसे दर्शाते हुए जारी किए जाते हैं। ये बालू स्टॉक बिंदु से बेची जाती है, तथापि, ये वही हैं जिनके संबंध में खनन स्थल पर ई-चालान उत्पन्न होता है।

किसी भी स्थिति में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह अभिवचन है कि स्टॉक समर्पित किए जाने के बाद, वह संबंधित थाना प्रभारी के कब्जे में था, अतः ये वे प्रासंगिक तथ्य हैं जिन्हें दिनांक 26.08.2021 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया है।

खान विभाग के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री नरेश दीक्षित और खान विभाग के निदेशक दोनों ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से असहमत नहीं हैं कि बंदोबस्त 01.05.2021 को अभ्यर्पण कर दिया गया था। वे इस

बात से असहमत नहीं हैं कि अभ्यर्पण करने के बाद 11.05.2021 को एस.डी.एम., दाउदनगर द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें स्टॉक प्वाइंट पर 30,26,000/- घनफुट बालू पाया गया था। वे इस बात से भी असहमत नहीं हैं कि स्टॉक अभ्यर्पण करने के बाद बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से उन स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए थे और अभ्यर्पण करने के बाद संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को स्टॉक प्वाइंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था और यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि कोई चोरी न हो।

इन सभी मामलों की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, खान विभाग के विद्वान वकील और विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें स्टॉक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।

मामले की परिस्थितियों और तथ्यों, उपर्युक्त प्रस्तुतियों तथा विभाग और खान निदेशक के अधिवक्ता के बयानों को ध्यान में रखते हुए, जब यह न्यायालय पाता है कि आवेदन के पैराग्राफ '3' में वर्णित बड़ी संख्या में मामलों में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है और उनमें से कुछ जो इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, वे आप.विविध सं. 68755/2022, आप.विविध सं. 69656/2022, आप.विविध सं. 69250/2022, आप.विविध सं. 69140/2022, आप.विविध सं. 69402/2022, आप.विविध सं. 23928/2022, आप.विविध सं. 74522/2022 और आप.विविध सं. 7407/2023 में हैं, न्याय में एकरूपता बनाए रखने के लिए, यह न्यायालय निर्देश देता है कि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसकी गिरफ्तारी या समर्पण के मामले में, याचिकाकर्ता को दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021 के संबंध में 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार

रुपये) के मुचलके पर, प्रत्येक समान राशि के दो जमानतियों के साथ, विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

इसके अतिरिक्त शर्त यह होगी कि अधीनस्थ न्यायालय याचिकाकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त को सत्यापित करेगा और यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त को छुपाया है, तो अधीनस्थ न्यायालय याचिकाकर्ता के जमानत बॉण्ड को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तथापि, उपर्युक्त आदेश की शर्तों के अनुसार जमानत बॉण्ड की स्वीकृति में सत्यापन के उद्देश्य से या सत्यापन के नाम पर देरी नहीं किया जाएगा।

इस न्यायालय द्वारा इस आदेश को पारित करने से पूर्व, न्याय के हित में यह दर्ज करना समीचीन होगा कि आज इस मामले के संबंध में हुई चर्चा के बाद, सुनवाई के दौरान, खान निदेशक ने यह महसूस करते हुए कि उन लोगों की भूमिका की भी जांच करना आवश्यक है जिन्हें स्टॉक को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उचित कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाने का संकल्प लेते हैं।

इस आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है.

53. वर्तमान मामले में शामिल कानूनी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 379, 406, 411, 420 को भी पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:

"धारा 378:- चोरी--जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का

आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

379. चोरी के लिए दंड--जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड--जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

411. चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना--जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

420. छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना--जो कोई छल करेगा, और तद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परित कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

54.खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4, 14 को पुनः उद्धृत करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

4. पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं का अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना—(1) [कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भूमीक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएं इस अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं] :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो :

[परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात किन्हीं ऐसी पूर्वक्षण संक्रियाओं को लागू नहीं होगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के [खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय] किसी भी राज्य सरकार के खनन और भू-विज्ञान निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि [कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)] की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ में सरकारी कम्पनी और ऐसे किसी अस्तित्व द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;]

[परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी खनन पट्टों (चाहे उसका नाम खनन पट्टा, खनन रियासत या कोई अन्य हो) लागू नहीं होगी।

(1क) [कोई व्यक्ति इस अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन ही किसी खनिज का परिवहन या भण्डार करेगा या परिवहन या भण्डार करवाएगा, अन्यथा नहीं।]

(2) [कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] इस अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

[(3) कोई भी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श करने के पश्चात् और धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, 5[उस राज्य सरकार के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले ही धृत नहीं है, किन्हीं ऐसे खनिजों की बाबत, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भूमीक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएं कर सकेगी।]

14. धारा 5 से धारा 13 तक का गौण खनिजों को लागू न होना — धारा 5 से धारा 13 तक के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) उपबन्ध गौण खनिजों के बारे में खदान पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों को लागू नहीं होंगे ।

55. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 की धारा 29 सी, 29 एफ, 30, 39, 41, 46, 47, 50, 51 और 59 को पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है: -

29-ग. खनन योजना (प्लान)/पर्यावरण क्लीयरेंस के शर्तों एवं बंधेजों का पालन- बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती से संबंधित खनन योजना (प्लान) के शर्तों एवं बंधेजों और पर्यावरण क्लीयरेंस में दिये गये शर्तों एवं बंधेजों का पालन करेंगे ।”

29 च. धर्मकांटा का प्रतिष्ठापन—प्रत्येक बालूघाट पर सेंट्रल सर्वर से एकीकृत एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा का अधिष्ठापन हो सकेगा। हालांकि संलग्न बालूघाटों के लिए विभाग कॉमन धर्मकांटा के उपयोग की स्वीकृति दे सकेगा। उचित वजन /ई-चालान बिना बालू ढोते पाया जाने वाला कोई वाहन खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन जब्त किए जाने का दायी हो सकेगा।

30. निबंधनों के भंग की दशा में शास्ति— (1) प्रतिबन्धित क्षेत्र के भीतर खनन अथवा 3 मीटर की गहराई से अधिक बालू खनन की दशा में प्रथम बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरुद्ध एक लाख की शास्ति समाहर्ता द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

(2) द्वितीय बार उल्लंघन के लिए बंदोबस्तधारी के विरुद्ध पाँच लाख रुपये से दस लाख रुपये तक की शास्ति अनियमितता की गंभीरता के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी।

(3) तृतीय अथवा उससे अधिक बार ऐसे अपराध में जब कभी खनिज समनुदान धारक संलिस पाया जाता है तो उस विशिष्ट बालूघाट की बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा अस्थायी रूप से अधिकतम एक माह के लिए निलंबित की जा सकेगी जबतक कि उल्लंघनों में सुधार न कर लिया जाय। समाहर्ता द्वारा इस संबंध में दिए गए समय के भीतर यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है तो संबंधित बालूघाट की बंदोबस्ती के रद्दकरण की कार्रवाई की जाएगी।

(4) बालू का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा और कोई गीला बालू वाहनों में नहीं लादा जाएगा। गीला और बिना ढके बालू के किसी परिवहन के लिए उक्त वाहन में लदे बालू के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना परिवहनकर्ता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

39. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लीज धारित क्षेत्र से बाहर लघु / वृहद खनिज का व्यवसाय चलाता है, खनन अधिकारी से प्रपत्र 'ट' में भंडारण अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा जिसे व्यवसाय के सहजदृश्य स्थल पर दर्शाया जाएगा और सभी ऐसे खनिजों क्रय और विक्रय का समुचित लेखा एक रजिस्टर में प्रपत्र "ज" में संधारित किया जाएगा। जिसके निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान एवं उपनिदेशक, खान या खनन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थिति किया जाएगा। प्रपत्र "ट" में लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(क) प्रत्येक ऐसा अनुज्ञाप्ति एक कलेन्डर वर्ष के लिए वैध होगा।

(ख) अनुज्ञाप्ति नवीकरण हेतु आवेदन के साथ 2000/- का फीस संलग्न करना होगा।

(2) उपनियम (1) यथोल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्र 'छ' में अथवा विहित प्रपत्र में परिवहन चालान प्रत्येक वाहक को अपने स्टॉक से खनिजों को प्रेषित करते समय निर्गत करेगा।

(3) उपनियम (1) यथोल्लिखित व्यक्ति यदि प्रपत्र "ज" में एक रजिस्टर संधारित करने अथवा प्रपत्र "ट" में लाईसेंस प्राप्त करने अथवा प्रपत्र "झ" में अथवा विहित प्रपत्र में चालान निर्गत करने में असफल रहता है वह साधारण कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा खनिज मूल्य के साथ 10,000/- (दस हजार) रु0 तक बढ़ाया जा सकेगा से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

41. ई-चालान —(1) लघु खनिजों का संचलन का, चाहे खनिज समानुदान धारक द्वारा हो या निगम द्वारा, अनुश्रवण प्रपत्र—'छ' में अथवा विहित ई-चालान के माध्यम से किया जाएगा।

46. रजिस्टर, रिटर्न और साइन बोर्ड— (1) प्रत्येक खनिज समुदायनधारक प्रपत्र "ज" में एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें दिन-प्रतिदिन का संव्यवहार दर्ज किया जाएगा। वह साइन बोर्ड भी प्रदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक प्रत्येक माह सक्षम अधिकारी को प्रपत्र "झ" में खनिजों के लिए एक सत्य एवं सही रिटर्न जिस माह से वह संबंधित हो उसके अगले माह की 15 वीं तिथि तक प्रत्येक समर्पित करेगा।

(3) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ज" में वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में समर्पित करेगा। (4) प्रत्येक खनिज समानुदान धारक खनन अधिकारी या खान निदेशक, खान अपर निदेशक या खान उपनिदेशक अथवा समाहर्ता द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को खनिज लेखाओं के निरीक्षण, सत्यापन एवं चेक करने की सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ देगा।

(5) खनिज समानुदान धारक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो खनिजों को हटाता हो, प्रस्तुत किया लेखा, रिटर्न तथा अन्य साक्ष्य यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी की राय में पूर्णतः, या अंशतः अशुद्ध, अपूर्ण

अथवा अविश्वासनीय हो तो संबंधित अधिकारी खनन अधिकारी को प्रतिवेदित करेगा जो बंदोबस्तधारी से बकाए स्वामित्व की राशि अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा : परन्तु यदि खनन अधिकारी ने स्वयं अपनी राय बना ली हो, बंदोबस्तधारी से बकाए की स्वामित्व की राशि का निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से करने हेतु तुरंत अग्रसर होगा :

(6) राज्य सरकार लेखा/रिटर्न या अन्य साक्ष्य के अतिरिक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी यथा- एरियल सर्वे/ग्राउन्ड सर्वे या अद्यतन किसी रीति लगाकर प्रासंगिक समानुदान अवधि के दौरान उत्खनित खनिज की वास्तविक मात्रा विनिश्चित करने हेतु निदेश भी दे सकेगी।

47. खनिज समानुदान स्थगित अथवा रद्द करने की शक्ति—

(1) समाहर्ता अपने जिले में किसी खनिज समानुदान धारक का कोई खनन पट्टा रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) समाहर्ता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिबंधों के अध्यधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी खनिज समानुदान को स्थगित अथवा रद्द कर सकेगा और उनकी प्रतिभूति जमा / अप्रदान जमा राशि जब्त कर सकेगा—

(क) यदि खनिज समानुदान प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज समर्पित किया जाता है, अथवा

(ख) यदि खनिज समानुदान अंतरित या उप पट्टा दिया जाता है अथवा उसके धारक द्वारा शिकमी दिया जाता है, अथवा

(ग) यदि उसके धारक द्वारा देय खनन राजस्व का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं किया जाता है ; अथवा

(घ) ऐसे पट्टेधारी अथवा उसके अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अनुमति से उसके सेवक अथवा अभिकर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे खनिज समानुदान, के किसी निबंधन और शर्तों को भंग करने की दशा में;

(ङ.) यदि खनिज समानुदान धारक अथवा उसका अभिकर्ता अथवा कर्मचारी अधिनियम अथवा इस नियमावली अथवा खनन विषयों अथवा खनन राजस्व से संबंधित विषयों से जुड़े और सुसंगत तत्समय

प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध अथवा किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध में सिद्धदोष हो;

(च) जिस उद्देश्य के लिए खनिज समानुदान स्वीकृत किया गया था वह अस्तित्वहीन हो जाय;

(छ) यदि दुर्य्यपदेशन अथवा कपट से खनिज समानुदान प्राप्त किया गया हो।

(ज) यदि खनिज समानुदान धारक इस नियमावली में उल्लिखित किसी शर्तों का उल्लंघन किया हो।

(झ) यदि कोई खनिज समानुदान धारक पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहा है या उसमें उल्लिखित किसी शर्त का अतिक्रमण करता है।

(ञ) यदि खनिज समानुदान धारक खनन प्रचालन, करार हस्ताक्षर करने के तिथि से तीन माह के भीतर, आरंभ करने में असफल रहता है;

(ट) यदि, किसी अन्य कारण से समाहर्ता का प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाये कि खनिज समानुदान रद्द किए जाने के योग्य है ।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के लिए, खनिज समानुदान धारक किसी क्षतिपूर्ति या वापसी जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।

(4) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, इस नियमावली और खनन पट्टा के किसी अन्य शर्त के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता लगने की स्थिति में, राज्य सरकार या समाहर्ता उक्त खनन पट्टा को रद्द करने के अलावा उपयुक्त वित्तीय शास्तियाँ और/या आपराधिक अभियोजन भी अधिरोपित कर सकेंगे।

(5) ऐसी कोई भी शास्ति का उद्ग्रहण लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4/1914) के अधीन वसूलनीय होगा।

50. खनिज समानुदान धारक द्वारा कारोबार छोड़ने का विकल्प— (1) कोई खनिज समानुदान धारक यथास्थिति, खनन पट्टा अवधि के

किसी भी समय समाहर्ता को छः महीने का नोटिस देते हुए कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा। फिर भी, यह विकल्प वैसे खनिज समानुदान धारक के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी बोली की रकम या बंदोबस्ती की रकम का भुगतान नहीं किया है अथवा खनन पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) समाहर्ता ऐसे खनिज समानुदान धारक को कारोबार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा और यथा वसूलनीय ऐसे किसी बकायों की कटौती कर खनिज समानुदान धारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर सकेगा।

(3) समाहर्ता, तदनंतर, यथास्थिति एक नई बिडिंग के लिए व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प खनिज समानुदान धारक को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी।

51. लगान/रॉयल्टी तथा निर्धारण—1. जब खनिज समानुदान दिया अथवा नवीकृत किया जाएगा :- (क) अनुसूची-॥ में विनिर्दिष्ट दरों पर नियत लगान प्रभारित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व प्रभारित की जाएगी; तथा

(ग) पट्टाधारी द्वारा अधिभोग या उपयोग में लाए गए क्षेत्र समाहर्ता द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर सतह-लगान प्रभारित किया जाएगा।

(2) इस नियमावली के आरंभ की तिथि को एवं से उपनियम (1) के प्रावधान ऐसे आरंभ की तिथि के पूर्व दिए गए अथवा नवीकृत किए गए और इस तिथि की कायम पट्टों पर भी लागू होंगे।

(3) यदि खनिज समानुदान धारक इसी क्षेत्र में एक खनिज से अधिक खनिज का कार्य करने की अनुज्ञा देता है तो समाहर्ता प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक नियत लगान को परिवर्तित कर सकेगा।

परन्तु लीजधारी प्रत्येक खनिज के संबंध में नियत लगान अथवा रॉयल्टी, जो उच्चतर राशि हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

4. पट्टा के किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खनिज समानुदान धारक अनुसूची-॥ और अनुसूची-॥क में समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर लिए गए / निकाले अथवा हटाये गए किसी लघु खनिज के संबंध में लगान/रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

5. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस दर में बढ़ोतरी या कमी के संबंध में अनुसूची ॥, ॥ क और ॥ ख का संशोधन कर सकेगी ताकि जिस पर लगान /रॉयल्टी, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से किसी लघु खनिज के संबंध में भुगतेय होगी।

6. खनन अधिकारी, ऐसी जाँच पड़ताल तथा सत्यापन के बाद जिसे वह लीजधारी द्वारा प्रपत्र “झ” में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक समझे। वार्षिक रिटर्न प्रपत्र “ञ” में लीजधारी द्वारा विहित अवधि के अंत में भुगतेय लगान /रॉयल्टी की राशि निर्धारित करेगा।

7. इस नियमावली में ये अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लघु खनिजों की नीलामी की दशा में रॉयल्टी नीलामी की राशि होगी। जहाँ रॉयल्टी प्रेषित मात्रा पर नीलामी राशि से अधिक हो वहाँ निकाले गए खनिजों की अधिक मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी भी भुगतेय होगी।

8. खनिज समानुदान धारक समय-समय पर राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा आंकलित, अधिरोपित तथा सभी लोक मांगों का भी भुगतान करेंगे।

59. प्रवेश निरीक्षण तलाश लेने तथा जब्त करने की शक्ति- (1) किसी खदान अथवा परिव्यक्त खदान के संभावित स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से अथवा इस नियमावली से संबंधित अन्य उद्देश्य से काम करने की स्थिति निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई यथा

—

(क) खान आयुक्त, खान निदेशक; या

(ख) समाहर्ता या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी,

(ग) अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक निम्नलिखित कर सकेगा :-

- (i) किसी खदान में प्रवेश और निरीक्षण;
- (ii) किसी ऐसे खदान का सर्वे और माप करना ;
- (iii) किसी खदान में उपलब्ध खनिज स्टॉक का वजन माप करना या माप लेना;
- (iv) किसी खदान एवं स्थान उसपर पहचान चिन्ह से संबंधित या के नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति के कब्जे वाले किसी दस्तावेज, पुष्ट या रजिस्टर या अभिलेख की जाँच करना तथा उस दस्तावेज, पुष्ट, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण लेना एवं उसकी प्रतियाँ तैयार करना;
- (v) खंड (iv) में यथा निर्देशित किसी ऐसे दस्तावेज, पुष्ट या रजिस्टर के उपस्थापन का आदेश देना ;
- (vi) किसी खदान पर नियंत्रण रखने वाले या से संबंधित किसी व्यक्ति की जाँच करना;
- (vii) किसी दस्तावेज, नमूना, उपकरण, सवारी, जानवर, लघु खनिज सामग्री, कच्चे माल या संबंधित किसी अन्य वस्तुओं को जब्त करना।

(2) ऐसी तलाशी और जब्ती की दशा में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के प्रावधान लागू होंगे।

56. बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम 11 को पुनः उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“11ए. बंदोबस्त का तरीका - (1) गौण खनिज के रूप में बालू का बंदोबस्त समाहर्ता/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, निम्नलिखित रीति से, सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में किया जाएगा;-”

(क) प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक नदी को एकल खंड के रूप में माना जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्र किसी भी मामले में 5 हेक्टेयर से कम नहीं होगा।

(ख) इसी प्रकार, किसी जिले की सभी नदियों को अलग-अलग खंडों के रूप में माना जाएगा और जिले के ऐसे सभी खंडों को बंदोबस्त के उद्देश्य के लिए एकल इकाई में जोड़ा जाएगा।

(ग) उच्चतम बोलीदाता नीलामी के तुरंत बाद अपनी राशि का 25 प्रतिशत जमा करेगा, जिसके बाद एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति आदेश समाहर्ता/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा उसके पक्ष में जारी किया जाएगा।

(घ) उच्चतम बोलीदाता आवश्यक दस्तावेज (अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण मंजूरी, आय की किस्त का बैंक मसौदा और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रचलित अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय सीमा के साथ अन्य कर) प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद कार्य आदेश समाहर्ता/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में जारी किया जाएगा।

(ङ) सफल बोलीदाता संबंधित बालूघाट इकाई के लिए तैयार और राज्य सरकार या इस संबंध में इस प्रकार अधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित एक खनन याचिका प्रस्तुत करेगा।

(च) सफल बोलीदाता भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रचलित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी लेगा।

परंतु यह कि राज्य सरकार विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जिले में नदी की मिट्टी और उसमें स्थित बालू खनन क्षेत्रों की व्यावहारिक सीमा, कानून और व्यवस्था की स्थिति, राजस्व का हित, अवैध खनन की जांच और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दो या दो जिलों के संयुक्त बंदोबस्त के लिए निर्देश दे सकती है। परंतु यह कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या जिला परिषद या ग्राम पंचायत या समाहर्ता की सिफारिश के माध्यम से खान आयुक्त किसी भी मामले में रॉयल्टी के संग्रह का निर्णय ले सकते हैं। परंतु यह कि अलग-थलग और दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे बालू के भंडार, जो उचित रूप से और आसानी से कार्य द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा सका है,

को समाहर्ता द्वारा चिह्नित किया जाएगा और खान आयुक्त द्वारा उसी के अनुमोदन पर, सक्षम अधिकारी (जैसा कि नियमों में परिभाषित है) ऐसे क्षेत्रों से बालू निकालने के लिए परमिट जारी कर सकता है, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी...

57. **देवेंद्र नाथ पाथी मामले** (उक्त) के पैरा 25 को पुनः प्रस्तुत करना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

25. उपरोक्त प्रावधान के तहत परिकल्पित किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज को "संहिता के तहत जाँच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाहियों के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय" पाए जाने पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जा सकता है। धारा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दस्तावेज के आवश्यक या वांछनीय होने के बारे में है। आवश्यकता या वांछनीयता को उस चरण के संदर्भ में देखा जाना होगा जब प्रस्तुति के लिए प्रार्थना की जाती है। यदि कोई दस्तावेज अभियुक्त के बचाव के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में धारा 91 को लागू करने का प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि उस चरण में अभियुक्त का बचाव प्रासंगिक नहीं होता है। जब धारा जाँच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाहियों का उल्लेख करती है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी दस्तावेज को समन करने और प्रस्तुत करने के लिए अदालत में जा सकता है जो धारा में उल्लिखित किसी भी चरण में आवश्यक हो सकता है। जहाँ तक अभियुक्त का संबंध है, धारा 91 के तहत आदेश मांगने का उसका अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएगा। जब धारा दस्तावेज के आवश्यक और वांछनीय होने की बात करती है, तो यह निहित है कि आवश्यकता और वांछनीयता की जाँच इस बात पर विचार करते हुए की जानी है कि समन और प्रस्तुति के लिए ऐसी प्रार्थना किस चरण में और किस पक्ष द्वारा की गई है, चाहे वह पुलिस हो या अभियुक्त। यदि धारा 227 के तहत, जो आवश्यक और प्रासंगिक है वह केवल संहिता की धारा 173 के तहत उत्पादित रिकॉर्ड है, तो अभियुक्त उस चरण में अपनी निर्दोषता दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज के प्रस्तुति की मांग के लिए धारा 91 को

लागू नहीं कर सकता है। धारा 91 के तहत दस्तावेज के प्रस्तुति के लिए न्यायालय द्वारा समन जारी किया जा सकता है और एक लिखित आदेश के तहत एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी भी उसका प्रस्तुत करना निर्देशित कर सकता है। धारा 91 अभियुक्त को अपने बचाव को साबित करने के लिए अपने कब्जे में दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। धारा 91 यह मानती है कि जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसका प्रस्तुति अनिवार्य करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

58. मरियम फसीहुद्दीन मामले (ऊपर) के पैरा 22, 23, 24, 25, 33, 34 और 46 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

“22. भा.दं.सं. में यह प्रावधान है कि कि जो कोई छल करेगा, और तद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 'छल' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि कपटपूर्ण या बेईमान इरादों से चिह्नित कोई भी कार्य 'छल' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि इसका उद्देश्य इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए, या इस बात पर सहमति देने के लिए प्रेरित करना है कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति रखे, जिससे उस व्यक्ति को क्षति या हानि हो।

23. इस प्रकार यह सर्वोपरि है कि भा.दं.सं. की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने किसी को धोखा दिया है, बल्कि यह भी कि ऐसा करके उसने बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित

किया है जिसे संपत्ति देने के लिए धोखा दिया गया है। इस प्रकार, ये इसके तीन घटक हैं, अर्थात्, (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना, (ii) धोखाधड़ी या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, और (iii) उत्प्रेरण करते समय अभियुक्त का आपराधिक आशय या बेईमान इरादा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि छल के अपराध के लिए, वादा या प्रतिनिधित्व किए जाने पर धोखाधड़ी और बेईमान इरादा शुरू से ही मौजूद होना चाहिए।

24. यह सर्वविदित है कि हर कपटपूर्ण कार्य गैरकानूनी नहीं है, जैसे कि हर गैरकानूनी कार्य कपटपूर्ण नहीं है। कुछ कृत्यों को गैरकानूनी के साथ-साथ कपटपूर्ण भी कहा जा सकता है और ऐसे कार्य भा.दं.सं. की धारा 420 के दायरे में आते हैं। यह भी समझना चाहिए कि तथ्य का एक बयान 'कपटपूर्ण' तब माना जाता है जब वह असत्य हो, और यह जानते हुए या लापरवाही से इस इरादे से किया गया हो कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप क्षति या हानि होगी। इसलिए, 'छल' में, आम तौर पर एक पूर्ववर्ती कपटपूर्ण कार्य शामिल होता है जो बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का कोई हिस्सा परिदत्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रेरित व्यक्ति उक्त कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, जो वह उस उत्प्रेरण के बिना नहीं करता।

25. भा.दं.सं. की धारा 420 में प्रयुक्त 'संपत्ति' शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ है। स्वामित्व के अधीन प्रत्येक मूल्यवान अधिकार या हित, जिसका विनिमय मूल्य हो, सामान्यतः 'संपत्ति' के रूप में समझा जाता है। यह किसी वस्तु पर कब्जा करने, उपयोग करने और उसका निपटान करने के किसी के अनन्य अधिकार का भी वर्णन करता है। भा.दं.सं. स्वयं 'जंगम संपत्ति' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है, *"यह प्रत्येक प्रकार की मूर्त संपत्ति को सम्मिलित करने के लिए अभिप्रेत है, सिवाय भूमि और उन वस्तुओं के जो पृथ्वी से जुड़ी हैं या किसी ऐसी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, जो पृथ्वी से लगी*

हुई है।" जबकि अचल संपत्ति को आम तौर पर भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी या स्थायी रूप से बंधी हुई चीजों के रूप में समझा जाता है।

33. भा.दं.सं. की धारा 468 के तहत 'जालसाजी' का अपराध यह प्रतिपादित करता है कि जो कोई जालसाजी करेगा, इस आशय से कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का उपयोग छल के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 में कहा गया है कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी ऐसे दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करेगा जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह एक जाली दस्तावेज है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज की जालसाजी की हो।

34. जालसाजी' के अपराध को स्थापित करने के लिए दो प्राथमिक घटकों को पूरा करने की आवश्यकता है, अर्थात्: (i) कि अभियुक्त ने एक लिखत गढ़ी है; और (ii) यह इस इरादे से किया गया था कि जाली दस्तावेज का उपयोग छल के उद्देश्य से किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें, तो जालसाजी के अपराध के लिए क्षति या चोट पहुँचाने के बेईमान इरादे से एक झूठा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है।

46. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि 'छल' और 'जालसाजी' के प्राथमिक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

59. **रणधीर सिंह केस (ऊपर) के पैरा 27** को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

"27. मोहम्मद इब्राहिम [मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009) 8 एससीसी 751: (2009) 3 एससीसी (क्रि) 929] में, इस

न्यायालय ने निम्नानुसार माना: (एससीसी पृष्ठ 757-60, पैरा 19-24 और 27-30)

19. धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए, न केवल छल होना चाहिए, बल्कि ऐसे छल के परिणामस्वरूप, अभियुक्त ने धोखे में आए व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया हो

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए, या

(ii) पूर्णतः या अंशतः कोई मूल्यवान प्रतिभूति (या कोई भी हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज़ जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य हो) बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए।"।

20. जहां किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने वाले विलेख को निष्पादित किया जाता है, तो खरीदार के लिए इस तरह के विलेख के तहत यह माना जा सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत खरीदार द्वारा नहीं की गई है। दूसरी ओर, खरीदार को सह-अभियुक्त बनाया जाता है।

21. शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि अभियुक्तों में से किसी ने उसे झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या किसी अन्य कार्य या चूक से धोखा देने की कोशिश की, न ही उसका यह मामला है कि उन्होंने उसे कोई संपत्ति देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे रखने की सहमति देने या जानबूझकर उसे कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया, जो वह नहीं करता या न करता अगर उसे धोखा न दिया जाता। न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि प्रथम अपीलकर्ता ने बिक्री विलेख निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का नाटक किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्त के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा या दूसरे अभियुक्त ने क्रेता होने के कारण, या तीसरे,

चौथे और पांचवें अभियुक्त ने बिक्री विलेखों के संबंध में गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धोखा दिया।

22. चूंकि धारा 415 में वर्णित छल के तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संहिता की धारा 417, 418, 419 या 420 के तहत दंडनीय कोई अपराध था।

स्पष्टीकरण

23. जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री विलेख का निष्पादन, जिसमें वह ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित करने का दावा करता है जो वास्तव में उसकी नहीं है, को झूठा दस्तावेज बनाना नहीं माना जा सकता और इसलिए यह जालसाजी नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि ऐसा कृत्य कभी भी आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि संपत्ति उसकी नहीं है, उसे बेचता है और इस प्रकार संपत्ति के क्रेता को धोखा देता है, तो धोखा खाए गए व्यक्ति, अर्थात् क्रेता, को यह शिकायत करने का अधिकार हो सकता है कि विक्रेता ने धोखाधड़ी का अपराध किया है। हालाँकि, कोई तीसरा पक्ष, जो उक्त बिक्री विलेख के अंतर्गत क्रेता नहीं है, ऐसे अपराध की शिकायत नहीं कर सकता।

24. 'कपट' शब्द संहिता में परिभाषित नहीं है। 'कपट' की शब्दकोश परिभाषा 'जानबूझकर किया गया धोखा, विश्वासघात या छल जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना हो' है। संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 'कपट' को किसी संविदा के पक्षकार के संदर्भ में परिभाषित करती है।

*

*

*

27. 'कपटपूर्वक' शब्द का प्रयोग अधिकतर 'बेईमानी से' शब्द के साथ किया जाता है जिसे धारा 24 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

24. "बेईमानी से"—जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे वह उस कार्य को "बेईमानी से" करता है, यह कहा जाता है ।'

28 [सं. : पैरा 28 को आधिकारिक शुद्धिपत्र संख्या F.3/Ed.B.J./149/2009 दिनांक 6-10-2009 द्वारा ठीक किया गया है।] "कपट करना" या कपटपूर्वक कुछ करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं बनाया गया है, लेकिन विभिन्न कार्य जब कपटपूर्वक (या कपटपूर्वक और बेईमानी से) किए जाते हैं तो उन्हें अपराध बनाया गया है। इनमें शामिल हैं:

- (i) कपटपूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना (धारा 206, 421 और 424)।
- (ii) जब्ती को रोकने के लिए संपत्ति के साथ धोखाधड़ी (धारा 207)।
- (iii) कपटपूर्वक डिक्री का निष्पादन या प्राप्त करना (धारा 208 और 210)।
- (iv) जाली सिक्कों को धोखाधड़ी से रखना/वितरित करना (धारा 239, 240, 242 और 243)।
- (v) सिक्के के वजन में कपटपूर्ण परिवर्तन/कमी (धारा 246 से 253)।
- (vi) डाक टिकटों से संबंधित धोखाधड़ी वाले कार्य (धारा 255 से 261)।
- (vii) जाली उपकरण/वजन/माप का कपटपूर्ण उपयोग (धारा 264 से 266)।

(viii) छल (धारा 415 से 420)।

(ix) ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध ऋण ऋण को कपटपूर्वक रोकना (धारा संख्या 422)।

(x) प्रतिफल के झूठे बयान वाले हस्तांतरण विलेख का कपटपूर्ण निष्पादन (धारा एन 423)।

(xi) जाली दस्तावेज बनाना या निष्पादित करना (धारा 463 से 471 और 474)।

(xii) मूल्यवान प्रतिभूति आदि का कपटपूर्ण रद्दकरण/विनाश (धारा संख्या 477)।

(xiii) कपटपूर्वक विवाह समारोह से गुजरना (धारा 496)।

इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल यह आरोप लगाने या यह दर्शाने मात्र से कि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक कार्य किया है, यह नहीं माना जा सकता कि उसने संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है, जब तक कि वह कपटपूर्ण कार्य संहिता या अन्य कानून के तहत अपराध के रूप में निर्दिष्ट न हो।

दंड संहिता की धारा 504

29. शिकायत में लगाए गए आरोप भी भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध के तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। धारा 504 शांति भंग को उकसाने के इरादे से जानबूझकर किए गए अपमान को संदर्भित करती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने अभियुक्त 1 और 2 से विक्रय विलेखों के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वे विक्रय विलेखों के तहत भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेंगे और वह जो चाहे कर सकता है। अपीलकर्ता 1 और 2 के बयान को "शांति भंग करने के इरादे से अपमान" नहीं कहा जा सकता है। आरोपी के बयान को, भले ही वह सच था, केवल एक बयान था जो पहले अपीलकर्ता द्वारा दूसरे अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेखों के निष्पादन के परिणाम का उल्लेख करता था।

निष्कर्ष

30. शिकायत में दिए गए आरोप, यदि उन्हें सत्य मान लिया जाए, तो संहिता की धारा 420, 467, 471 और 504 के तहत कोई अपराध नहीं बनाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से धारा 341 के तहत सदोष अवरोध और धारा 323 भा.दं.सं. के तहत उपहति कारित करने के अपराधों के तत्व दर्शाते हैं।

60. संजय मामले (ऊपर) के पैरा 69 से 72 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

“69. धारा 22 में प्रयुक्त व्याख्या के सिद्धांतों और शब्दों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय में, यह प्रावधान नदी तल से बालू सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के लिए पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में नदियाँ अनियंत्रित बालू खनन की खतरनाक दर से प्रभावित हुई हैं, जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रही है। यह नदी तल, मछली प्रजनन को भी कमजोर करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। यदि इन अवैध गतिविधियों को राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जाता है, तो इससे ऊपर बताए गए गंभीर परिणाम होंगे। यह न केवल नदी जल विज्ञान को बदल देगा बल्कि भूजल स्तर को भी कम कर देगा।

70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि की जाती है, अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह भी विवाद में नहीं है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर

की गई शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। धारा 4 और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है, जिसमें उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अभियोजन के विरुद्ध अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध तभी लागू होता है जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाया जाना हो, न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जो दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनता हो।

71. तथापि, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टा या अनुज्ञप्ति या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और बालू, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से गुप्त तरीके से उन खनिजों को हटाता या परिवहन करता है, तो उसे दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है।

72. एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और भा.दं.सं. की धारा 378 के तहत परिभाषित अपराध को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अपराध के घटक अलग-अलग हैं। खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन या अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जबकि नदी से बालू, बजरी और अन्य खनिजों को, जो राज्य की संपत्ति है, बिना सहमति के राज्य के कब्जे से बेईमानी से निकालना चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध के लिए कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करके बालू और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है और न ही रोका जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट

के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी जमीन से बालू और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(डी) के तहत संज्ञान लेने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

61. और, अंततः **भजन लाल मामले (उक्त)** के अनुपात को पुनः उद्धृत करना उचित होगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 102 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जो हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किए हैं, अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित हैं, हम दृष्टांत के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अटूट दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और ऐसे अनगिनत प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, यदि उन्हें ज्यों का त्यों भी ले लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार कर लिया जाए, तो भी वे प्रथम दृष्ट्या कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके साथ की अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है, जो संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच को न्यायोचित ठहराता हो, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के।

(3) जहाँ प्राथमिकी या परिवाद में किए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने को प्रकट नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहाँ, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहाँ संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जाँच अनुमत नहीं है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही के संस्थित किए जाने और जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक अंतर्निहित है और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए व्यापक निवारण प्रदान करता है।

(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना शामिल है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर

बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

62. इससे पहले, सभी पिछले मुकदमे इस मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते थे कि क्या एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के नियम 22 को नियम 56 के साथ पढ़ने पर उपलब्ध प्रावधानों को देखते हुए दंड संहिता के तहत प्राथमिकी बनाए रखने योग्य है या नहीं, जो अंततः इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 09.02.2024 के आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्राथमिकी बनाए रखने योग्य है।

63. अब अधिनिर्णय के लिए एकमात्र और मुख्य विचार बचा है कि क्या भारतीय दंड संहिता के तहत कथित अपराध प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनते हैं या नहीं, जैसा कि विभिन्न प्राथमिकी के माध्यम से उठाया गया है जो उपर्युक्त रिट याचिकाओं के विषय हैं।

भा.दं.सं. की धारा 379 के लिए

64. चोरी की मूल परिभाषा से यह प्रतीत होता है कि चोरी के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने हेतु निम्नलिखित कानूनी तत्वों का संतुष्ट होना आवश्यक है:-

- (i) किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा;
- (ii) किसी व्यक्ति के कब्जे से;
- (iii) उस व्यक्ति की सहमति के बिना;
- (iv) और ऐसी संपत्ति को लेने के लिए हटाया जाना चाहिए।

65. प्राथमिकी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी का आरोप मुख्य रूप से इन कारणों से उठाया गया था कि वास्तविक रूप से पाई गई बालू परियोजना निगरानी इकाई (संक्षेप में, "पी. एम. यू.") के आंकड़ों से कम थी। प्राथमिकी से ही पता चलता है कि यह सितंबर और दिसंबर, 2021 के महीनों के

बीच दर्ज किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बंदोबस्त करने वालों का नाम, उनका पता और बालू की बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था। भंडारित बालू को बाड़ या तिरपाल से ढका नहीं पाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 378,379,406,411,420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार आरोप अवैध खनन या खनन योजना के बाहर किसी भी खनन के बारे में नहीं है। प्राथमिकी भी अति खनन के संबंध में नहीं है। प्राथमिकी के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख में, जो बालू वास्तविक पाई गई थी, वह पी. एम. यू. डेटा से कम थी और इसे ठीक से संरक्षित और कवर नहीं किया गया था, धारकों के नाम, विवरण और बिक्री मूल्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

66. मुख्य मुद्दों में प्रवेश करने से पहले, वर्तमान आपराधिक अभियोजन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना उचित होगा, जिन पर प्रतिवादियों द्वारा भी विवाद नहीं किया गया था:-

- (i) वर्ष 2015 में की गई नीलामी के क्रम में वर्ष 2015 से 2019 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती याचिकाकर्ताओं को दी गई।
- (ii) याचिकाकर्ताओं का उपर्युक्त बंदोबस्त समय-समय पर बढ़ाया गया, सर्वप्रथम 01.01.2020 से 31.10.2020 तक, द्वितीयतः 01.11.2020 से 31.12.2020 तक, तृतीयतः 01.01.2021 से 31.03.2021 तक, और अंततः चौथा विस्तार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक दिया गया।
- (iii) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उपरोक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

(iv) याचिकाकर्ताओं ने 1 मई, 2021 को अपने अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पण कर दिया।

(v) अनुज्ञप्ति सौंपने के तुरंत बाद, ई-चालान का निर्माण को रोक दिया गया था। ई-चालान को अभ्यर्पण करने के पीछे का कारण यह था कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोविड-19 जैसी स्थितियों और जुलाई, 2021 के महीने से 14 पहिया ट्रकों और के-अनुज्ञप्ति साइटों के लिए समझौता वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं था, सभी बालू घाटों को अधिकारियों ने वापस ले लिया और देखभाल और संरक्षण के लिए क्रमशः भोजपुर और पटना में स्थानीय पुलिस स्टेशनों और सर्किल अधिकारियों को सौंप दिया। जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी बंदोबस्ती अभ्यर्पण की, तो संबंधित अधिकारियों ने 95,78,50,800 रुपये की शेष रॉयल्टी की मांग की। और आगे पत्र सं. 614 दिनांक 04.09.2021 से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ताओं के के-लाइसेंस साइटों से बालू बेचना शुरू कर दिया।

67. निश्चित रूप से, प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से बहुत पहले यानी 3 से 4 महीने पहले ही याचिकाकर्ताओं को बंदोबस्त के तहत उनके पास मौजूद बालू घाटों से बेदखल कर दिया गया था और उन बालू घाटों पर कब्जा लेने के बाद, बालू को सुरक्षित रखने के लिए उनका कब्जा स्थानीय एसएचओ और संबंधित सर्किल ऑफिसर/माइनिंग विभाग को दे दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर प्राथमिकी के माध्यम से कथित तौर पर तिरपाल से कोई कवरिंग नहीं थी या इसे घेरा नहीं गया था, तो यह स्थानीय एसएचओ और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जिनके पास विवादित बालू का कब्जा था क्योंकि ऐसे सभी कृत्यों के

लिए, याचिकाकर्ताओं को एक बार बालू घाटों पर कब्जा वापस लेने के बाद उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में दर प्रदर्शित न करना, बंदोबस्तधारी (याचिकाकर्ता) का नाम प्रदर्शित न करना बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है।

68. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवैध खनन या अत्यधिक खनन या अनुमत क्षेत्र/मानचित्र योजना से परे खनन चोरी है। इस प्रस्ताव की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय केस (उपरोक्त)** में की थी, लेकिन वर्तमान मामलों में, प्राथमिकी के अनुसार ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता अवैध और अत्यधिक खनन में शामिल थे या उन्होंने अनुमत क्षेत्र से परे बालू का उत्खनन किया। यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार ने सितंबर, 2021 के पहले सप्ताह से विभिन्न के-साइटों से बालू बेचना शुरू कर दिया था, इसलिए, बालू के किसी भी स्टॉक की कमी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख पर प्रतिवादी स्वयं जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।

69. इसलिए, उपलब्ध आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* चोरी का कोई अपराध बनता है।

धारा 406 भा.दं.सं. के लिए भा.दं.सं. की धारा 405 के तहत परिभाषित आपराधिक न्यासभंग

70. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्राथमिकी दर्ज करने से बहुत पहले, यानी जुलाई 2021 से ही, बालू को जब्त कर लिया गया था और स्थानीय पुलिस और सरकारी अधिकारियों को सौंपा गया था, और इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 405 के तहत किए गए अपराध के लिए कोई मामला बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, जो भा.दं.सं. की धारा 406 के तहत दंडनीय है।

भा.दं.सं. की धारा 411 के लिए:

71. प्राथमिकी से यह पता चलता है कि आरोप ऐसी प्रकृति का नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी समय यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, कोई संपत्ति अपने पास रखी।

भा.दं.सं. की धारा 414 के लिए:

72. भा.दं.सं. की धारा 414 के तहत मामला बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बालू को छिपाने या निपटाने या ले जाने में स्वेच्छा से सहायता करने का आरोप भी उपलब्ध नहीं है।

भा.दं.सं. की धारा 420 के लिए:

73. जहां तक धोखाधड़ी का सवाल है, याचिकाकर्ता वर्ष 2014 में आयोजित नीलामी के बाद भारी रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद तीन अलग-अलग जिलों पटना, भोजपुर और सारण के बालू घाटों के वैध बंदोबस्तधारी थे। कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, चार अलग-अलग अवसरों पर 01.01.2020 से 31.10.2020 तक, फिर 01.11.2020 से 31.12.2020 तक, तीसरी बार 01.01.2021 से 31.03.2021 तक, और चौथा विस्तार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक दिया गया, समझौता याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बढ़ाया गया था, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं का व्यवसाय वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं रह पाया, तो इसे मई, 2021 में अभ्यर्पण कर दिया गया और उसके बाद, शेष अवधि के लिए प्रतिवादियों द्वारा 95,78,50,800/- रुपये की बकाया रॉयल्टी की मांग की गई। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही छह साल के इस लंबे बंदोबस्त कार्यकाल में संबंधित अधिकारियों को धोखा देने का इरादा था।

74. इसलिए, किसी भी विवेकपूर्ण कल्पना से, प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विश्वसनीय नहीं लगता है।

75. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि क्र. विविध संख्या 8423/2023 में पारित दिनांक 15.05.2023 के आदेश के अनुसार, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता सदाशिव प्रसाद को अग्रिम जमानत प्रदान की है, जो मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी मुख्य अधिकारी थे, जिसमें खान विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंदोबस्त 01.05.2021 को अभ्यर्पण किया गया था और इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें आगे कहा गया है कि स्टॉक अभ्यर्पण किए जाने के बाद, बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से उन स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए थे और आगे, अभ्यर्पण के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को स्टॉक-पॉइंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था और यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि कोई चोरी न हो। आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें स्टॉक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।

76. यह विवाद भी सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि विस्तारित अवधि के लिए भुगतान न किए गए रॉयल्टी राशि की वसूली के लिए, संबंधित प्राधिकारी/उत्तरदाताओं ने बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत उपरोक्त पैराग्राफ संख्या 38 में उल्लिखित प्रमाण पत्र मामला दायर किया है।

77. उपरोक्त कानूनी चर्चाओं, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और पिछले पैराग्राफ में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और यह मामला **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** के माध्यम से उपलब्ध स्वर्णिम मार्गदर्शक सिद्धांतों संख्या 1, 2, 3, 5 और 7 के अंतर्गत आता है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्राथमिकी को उनकी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द/अपास्त किया जाता है, जो कि उपरोक्त रिट याचिकाओं का विषय है।

78. इसके परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं अनुमोदित की जाती हैं।

79. इस फैसले की एक प्रति संबंधित अदालत को भेजी जाए।

(चंद्रशेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।